सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 18/-
वार्षिक	₹ 200/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

अक्टूबर, 2015 वर्ष 14 अंक 08

हसनैन रज़ि० से महब्बत

प्यारे नबी की ताअ़त ईमान है मेरा
हसनैन से महब्बत ईमान है मेरा
हसनैन से महब्बत करते थे जब नबी
फिर उन की महब्बत न क्यों ईमान हो मेरा
बूबक्र, उमर, उस्मा भी थे उनको चाहते
वह भी थे उनको चाहते ईमान है मेरा
हां फ़ातिमा के लाल अ़ली के वह लाडले
जन्नत में हैं सरदार यह ईमान है मेरा
प्यारे नबी ने रोका बिदआ़त से है सब को
बिदआ़त से बचना न क्यों ईमान हो मेरा
रस्मे अ़ज़ादारी भी है बिदआ़त में दाख़िल
इस रस्म से भी नफ़रत ईमान है मेरा
या रब नबीये पाक पर रह़मत हो और सलाम
हसनैन पर सलाम भी ईमान है मेरा

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
सय्यिदा फ़ातिमा	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	12
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौ0 अली मियाँ नदवी रह0	16
मकामे सहाबा रज़ि0	मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	18
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	20
आशूरा	राशिदा नूरी	23
कहानी कान में छेद की	इदारा	24
ईमान वालों के लिए बशारत	फौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाजिला	27
बात अठन्नी की	पुरानी कथा	29
इस्लाम में विवाह	इदारा	31
सूरः फ़ातिहा का अनुवाद	इदारा	38
बच्चो को दीनी तअ़लीम दीजिए	मौ0सै0 अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0	39
उर्दू सीखिए	इदारा	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूर-ए-बक़रः

अनुवाद- ऐ ईमान वालो जब तुम आपस में उधार का मुआमला करो किसी मुक़र्ररः समय के लिए तो उसको लिख लिया करो, और चाहिए कि लिख दे तुम्हारे दरमियान इंसाफ से लिखने वाला, और इंकार न करे इससे लिखने वाला कि वह लिख दे जैसा सिखाया उसको अल्लाह ने सो उसको चाहिए कि लिख दे, और बतलाता जाये वह शख़्स कि जिस पर क़र्ज है और डरे अल्लाह से जो उसका रब है, और कम न करे उसमें से कुछ[1],फिर अगर वह शख्स जिस पर क़र्ज़ है बे अ़क़्ल है, या कमज़ोर है या वह खुद नहीं बता सकता तो बतावे उसका कार गुज़ार (वली) इंसाफ़ से[2], और गवाह करो दो गवाह अपने मर्दों में से, फिर अगर न हों दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें उन लोगों में से कि जिन को तुम पसंद करते हो गवाहों में, ताकि अगर भूल जाये एक उनमें से तो याद दिला दे उसको वह दूसरी[3], और इंकान न करे गवाह जिस वक़्त बुलाया जाये और काहिली न करो उसके लिखने से, मुआमला छोटा हो या बड़ा उसके मुकर्रः समय तक, इसमें अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ है और अल्लाह बहुत दुरूस्त रखने वाला है गवाही को और नज़दीक है कि शुब्हे में न पड़ो[4] मगर यह कि जो सौदा हाथों हाथ लेते देते हो आपस में तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर उसको न लिखो, और गवाह बना लिया करो जब तुम सौदा करो, और नुक़सान न करे लिखने वाला और न गवाह[5], और अगर ऐसा करो तो यह गुनाह की बात है तुम्हारे अंदर, और डरते रहो अल्लाह से और अल्लाह तुम को सिखलाता है और अल्लाह हर एक चीज़ को जानता है[6](282)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. पहले सदक़ा खैरात की फ़ज़ीलत और उसके अहकाम बयान फरमाये, उसके बाद सूद और उसकी हुरमत और बुराई का ज़िक्र हुआ, अब उस मुआमले का ज़िक्र है जिसमें क़र्ज हो और आगे किसी मुद्दत का वादा हो उसके बारे में यह मालूम हुआ कि ऐसा मुआमला जाइज़ है मगर चूंकि मुआमला आइंदा मुद्दत के लिए हुआ है, भूल चूक और वादा खिलाफी से लड़ाई झगड़े का खतरा होता है इस लिए इसका तअ़य्युन और एहतिमाम ऐसा किया जाये कि कोई मुआमला पैदा न हो उसकी सूरत यही है कि एक काग़ज़ पर लिखो जिसमें मुद्दत निर्धारित हो, दोनों का नाम, मुआमले की

शेष पृष्ठ .....15.....पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

सबसे बेहतर वह है जो कर्ज अच्छी तरह अदा करे-

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक कर्जदार आया और अपने कर्ज का सख्त मुतालबा किया सहाब–ए–किराम रज़ि0 ने उसके मारने का इरादा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया उसको छोड़ दो कर्ज देने वाले को सब कुछ कहने का हक़ है, अब बेहतर यह है कि जिस तरह का जानवर इससे लिया है उसी तरह का दो। वह बोले वैसा तो नहीं है उससे बेहतर है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया वही दे दो, तुम में सब से बेहतर वह है जो कर्ज अच्छी तहर अदा करे।

(बुखारी–मुस्लिम)।

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम फरमाये जो खरीद व फरोख्त के वक़्त और मुतालबा करने में नर्मी से काम ले। (बुखारी)।

कियामत की तकलीफों से नजात–

हज़रत अबू कतादा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसको ख्वाहिश हो कि अल्लाह तआला उसको कियामत की तकलीफों से नजात दे तो उसको चाहिए कि मोहताज कर्जदार को मोहलत दे कर्ज मांगने में जल्दी न करे या तो सारा कर्ज छोड़ दे या थोड़ा बहुत माफ कर दे। (मुस्लिम)

मक़रूज़ से मुताबला करने में नर्मी–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया एक शख़्स लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने कारिंदे से कहता था कि जब तुम कमज़ोर मक़रूज़ से मुतालबा करना तो उसको दरगुज़र करना, उम्मीद है कि अल्लाह तआला हम से भी दरगुज़र फरमाये, चुनांचि जब वह शख़्स अपने परवर दिगार से मिला तो अल्लाह तआला ने उससे भी दर गुज़र फरमाया।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू मसऊद बद्री रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अगली उम्मतों में एक शख़्स का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी न मिली, सिवाये इसके कि वह दौलत मंद था, लोगों से लेन देन का मुआमला करता था और अपने गुलामों से कहता था कि तंग दस्त कमज़ोर से दर गुज़र किया करो। अल्लाह तआला ने फरमाया मैं उस शख़्स से ज़ियादा दर गुज़र करने वाला हूँ फिर उससे दरगुज़र फरमाया।

(मुस्लिम)

शेष पृष्ठ .....11...पर

सय्यिदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी औलाद का ज़िक्र

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

हर मुसलमान को चाहिए कि वह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अज़्वाज मुतह्हरात (उम्महातुल मोमीनीन) और आप की औलाद के विषय में जानकारी रखे, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सन्तान का सिलसिला आपकी छोटी बेटी सय्यिदा फ़ातिमा रज़ि0 से चला है इसलिए उनके विषय में और उनकी औलाद के विषय में सही जानकारी रखे, इसी उद्देश्य से यह संक्षिप्त लेख लिखा गया है। अल्लाह के अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह ने चार बेटे प्रदान किये ताहिर, तय्यिब, कासिम और इबराहीम रजियल्लाहु अन्हुम, यह चारों बचपन ही में अल्लाह के प्यारे हो गये थे।

अल्लाह तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चार बेटियां प्रदान कीं। सबसे बड़ी बेटी हज़रत जैनब थीं, इन का निकाह हजरत अबुल आस से हुआ था वह हज़रते ज़ैनब के खाला ज़ाद भाई थे वह आखिर में ईमान ले आए थे, हज़रत ज़ैनब का सन् 8 हिजरी में देहांत हो गया था, उन्होंने एक बेटी छोड़ी थीं जिनका नाम "उमामा" था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बहुत अज़ीज थीं। इनका निकाह उनकी खाला हज़रत फातिमा रज़ि0 की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ि0 से हुआ था, और हज़रत अली की शहादत के बाद मुग़ीरा बिन नौफ़ल से हुआ था। इनसे औलाद का सिलसिला नहीं चला।

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दूसरी बेटी रुकय्या थीं इनका पहला निकाह अबू लहब के बेटे से हुआ था, जब अल्लाह ने प्यारे नबी को नबी बनाया तो अबू लहब और उसके बेटों को आपसे दुश्मनी हो गई इसलिए जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुशमनी में तलाक़ दे दी तो हज़रत रुकय्या का निकाह हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि0 से हुआ, सन् 2 हिजरी में हज़रत रुकय्या रज़ि0 का इन्तिक़ाल हो गया, उन्होंने कोई औलाद न छोड़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम थीं, उनका निकाह भी पहले अबू लहब के दूसरे बेटे से हुआ था, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुश्मनी में तलाक देदी थी इनका दूसरा निकाह हजरत रुक़य्या के इन्तिक़ल के बाद हज़रत उस्मान ग़नी से हुआ था, सन् 9 हिजरी में इनका भी इन्तिक़ाल हो गया इन्होंने भी कोई औलाद न छोड़ी।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चौथी बेटी सय्यिदा फ़ातिमा रज़ि0 हैं इनका जन्म नुबूवत से एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद हुआ था ये नबी सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम को बहुत प्रिय थीं जब आप 15 वर्ष की हुईं तो आप का निकाह हज़रत अली रज़ि0 से हुआ, मशहूर क़ौल के मुताबिक़ महर चार सौ मिस्क़ाल चाँदी (1750 ग्राम चांदी) मुक़र्रर हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घरेलू ज़रूरतों के लिए जो जहेज़ दिया उसका इन्तिज़ाम हज़रत अली रज़ि0 की दी हुई महर से किया गया था। आपने फ़रमाया कि यह जन्नत में बहुत सी औरतों की सरदार होंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के देहान्त के बाद बड़ी दुखी रहीं और छः मास बाद सन् 11 हिज्री में इनका भी देहान्त हो गया अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा को तीन बेटे और दो बेटियां प्रदान कीं सबसे बड़े बेटे हज़रत हसन और दूसरे बेटे हज़रत हुसैन और तीसरे बेटे हज़रत मुहसिन रज़ियल्लाहु अन्हुम थे ये तीनों नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रखे थे, हज़रत मुहसिन का इन्तिक़ाल बहुत बचपन में हो गया था। हज़रत हसन और हुसैन रज़ि0 का संछिप्त परिचय लेख के अन्त में आयेगा। बेटियों में हज़रत ज़ैनब का निकाह अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से हुआ था अजीब बात है कि हज़रत ज़ैनब की ख़ाला का नाम भी जैनब था और दो सौतेली नानियां भी ज़ैनब नाम की थीं, करबला के हादिसे (घटना) में हज़रत ज़ैनब अपने दो बेटों के साथ मैदाने करबला में मौजूद थीं अलबत्ता उनके शौहर अब्दुललाह बिन जाफ़र किसी कारण साथ न थे लेकिन उन्होंने हज़रत ज़ैनब और उन के बेटों को हज़रत हुसैन रज़ि0 के साथ जाने की अनुमति दे दी थी। करबला की घटना के बाद करबला से संबंधित उनके बे लाग भाषण बहुत प्रसिद्ध हैं। अन्त में वह अपने पति के साथ शाम चली गईं थीं वहीं उनका देहान्त हुआ, उनके दोनों बेटे करबला की लड़ाई में शहीद हो गये थे उनसे कोई संतान न चली।

हज़रत फ़ातिमा की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर रज़ि0 से हुआ था, हज़रत उमर रज़ि0 की शहादत के बाद उनका निकाह औन बिन जाफ़र से हुआ था और हज़रत औन के इन्तिक़ाल के बाद उनका निकाह मुहम्मद बिन जाफ़र से हुआ था, इनसे भी औलाद का सिलसिला नहीं चला।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं" तात्पर्य यह है कि दोनों जन्नत के बहुत से जवानों के सरदार होंगे। इससे ज्ञात हुआ कि उन दोंनो को जीवन ही में जन्नत की शुभ सूचना मिल चुकी थी। हसन और हुसैन को एक साथ "हसनैन" भी कहा जाता है हज़रते फ़ातिमा के इन दोनों लाडलों द्वारा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नस्ल सारी दुन्या में फैली हुई है और इन्शाअल्लाह क़ियामत तक वह दुन्या में दीन की ख़िदमत व क़ियादत करती रहेगी।

सय्यिदुना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु–

हज़रत हसन रज़ि0 की पैदाइश मदीना तय्यिबा में सन् 2 या 3 हिज्री में हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये, अपना थूक चटाया और कान में अज़ान कही सातवें दिन 2 मेंढे ज़ब्ह करवा कर अ़क़ीक़ा किया, बाल उतरवाये बालों के बराबर चाँदी ख़ैरात करवाई, हसन नाम रखा। हज़रत हसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरबीयत में आठ या नौ साल रहे।

आप शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत मिलते थे, पूरे ख़ानदान में बहुत महबूब थे, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया यह मेरा बेटा सरदार है यह दो बड़े मुस्लिम दलों में मेल करायेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के कार्यकाल में भी उनका बहुत आदर होता था हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने तो छोटे पन में आपको अपने कंधों पर बिठाया था। हज़रत उमर रज़ि0 का काल आया तो बैतुलमाल (इस्लामी कोश) में खूब धन आया बहुत से सहाबा का वज़ीफ़ा मुक़र्रर हुआ तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ि0 दोनों का वज़ीफ़ा पाँच–पाँच हजार (दिरहम) वार्षिक नियुक्त हुआ जो दोनों भाइयों को बराबर मिलता रहा। हज़रत उस्मान रज़ि0 के कार्यकाल में दोनों भाई जवान हो चुके थे, दोनों ने बाज़ इस्लामी लड़ाइयों में भाग लिया था, जब विद्रोहियों ने हज़रत उस्मान रज़ि0 का घर घेरा तो दोनों भाई उनके दरवाज़े पर दूसरे जवानों के साथ पहरा दे रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ि0 की शहादत के बाद उनके वालिद हज़रत अली रज़ि0 ख़लीफ़ा हुए तो हज़रत उस्मान की शहादत के विवाद के कारण इस्लामिक शासन दो भागों में बट गया एक तरफ़ हज़रत अली रज़ि0 ख़लीफ़ा थे तो दूसरी ओर हज़रत मुआविया रज़ि0 का शासन था दोनों में युद्ध छिड़ा जो पाँच साल तक चलता रहा इसमें लगभग पचास हज़ार कल्मा पढ़ने वाले मारे गये सन् 40 हिज्री में बदबख़्त अब्दुर्रहमान ख़ारिजी ने हज़रत अली रज़ि0 को शहीद कर दिया तो मुसलमानों ने हज़रत हसन रज़ि0 को ख़लीफ़ा बनाया, हज़रत मुआविया से अब भी लड़ाई जारी थी, हज़रत हसन को यह देख कर बहुत दुख हो रहा था उन्होंने लगभग 6 माह हुकूमत की और अन्त में हज़रत मुआविया को संधि का संदेश भेजा वह इसके लिए तैयार हो गये तो हज़रत हसन ने संधि की निम्न लिखित शर्तें लिख भेजीं–

1. सब लोगों को बिला इस्तिस्ना अमान दी जाएगी और कोई ईराक़ी बुग़्ज़ व कीना की बिना पर न पकड़ा जाएगा।

2. सूबा अहवाज़ का कुल ख़िराज हसन के लिए मख़सूस हो और हुसैन को दो लाख दिरहम सालाना अलग से दिये जाएंगे।

3. सिलात व अतीयात में बनू हाशिम को बनू उमय्या पर तरजीह दी जाएगी।

हज़रत मुआविया ने तीनों शरतें मान लीं और सुलह हो गई इस प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वह भविष्यवाणी पूरी हुई कि "मेरा यह बेटा दो बड़े मुस्लिम दलों में मेल कराएगा"। अहले सुन्नत का मानना है कि हज़रत अली के काल में हज़रत मुआविया विद्रोही शासक थे लेकिन वह "इजतिहादी ग़लती" पर थे अतः पापी न थे परन्तु अब इस संधि के पश्चात मुसलमानों के ख़लीफ़ा हो गये।

इसके पश्चात हज़रत हसन कूफ़ा से मदीना तय्यिबा आ गये और वहीं ज़िन्दगी गुज़ार दी, अन्त में उनको किसी ने विष पिला दिया उसी से उनका इन्तिक़ाल हो गया, कहा जाता है कि विष किसी कारण उनकी किसी पत्नी ने खिलाया था। कुछ लोगों ने बाद में गढ़ा कि ज़हर हज़रत मुआविया ने खिलवाया था मगर यह बात न हज़रत हसन ने कही न हज़रत हुसैन ने न हज़रत हसन के बेटों ने न हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने इसलिए यह झूठ है बुहतान है। हज़रत हसन ने अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 13 हदीसें रिवायत की हैं।

हम मुसलमान हज़रत हसन से दिली महब्बत रखते हैं उनको अपना रहनुमा मानते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हुआ वह अल्लाह से राज़ी हुए।

सय्यिदुना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु-

हज़रत हुसैन रज़ि0 का जन्म हज़रत हसन के जन्म के एक साल बाद सन् 4 हिज्री में हुआ।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ लाए, कानों में अज़ान कही, अक़ीक़ा करने और बालों के बराबर चाँदी ख़ैरात करने का हुक्म दिया और हुसैन नाम रखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हज़रत हुसैन भी बहुत महबूब थे वह तमाम खान्दान वालों को महबूब थे और तमाम सहाबा विशेष कर हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान को महबूब थे, पीछे आ चुका है कि हज़रत उमर ने पाँच हज़ार दिरहम सालाना उनका वज़ीफ़ा मुक़र्रर किया था वह हमेशा अपने भाई के साथ इस्लाम की ख़िदमत करते रहे अलबत्ता भाई ने जब हज़रत मुआविया से सुलह की तो वह इस पर राज़ी न थे मगर विरोध भी न किया और सुलह होने दी हज़रत मुआविया के काल में जब कुसतुन्तुनिया पर हमला हुआ तो वह उसमें शरीक थे। हज़रत मुआविया ने जब आखिरी वक़्त में अपने बेटे यज़ीद को वली अहद (उत्तराधिकारी) घोषित किया तो आपने इसका विरोध किया।

आवश्यक बात-

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दो सहाबियों में जब हम मतभेद पायें तो हम मुसलमानों का फर्ज़ है कि हम दोनों का पूरा पूरा सम्मान करें इसलिए कि अगर किसी सहाबी से चूक भी हुई होगी तो वह इज्तिहादी गलती पर होगा और उसको एक सवाब मिलेगा लेकिन अगर हमारे मन में सहाबी की बुराई आयेगी तो हमारा ईमान शंका में पड़ जायेगा। अतः हम हज़रत मुआविया के

निर्णय का भी सम्मान करते हैं और हज़रत हुसैन के विरोध का भी आदर करते हैं।

हज़रत मुआविया ने अपने अंतिम समय में अपने बेटे यज़ीद को निर्देश दिया था कि हुसैन के साथ अच्छा बर्ताव करना। 22 रजब सन् 60 हिज्री को हज़रत मुआविया का देहान्त हो गया तो यज़ीद ख़िलाफत के तख़्त पर बैठा और ख़िलाफत की बैअ़त (शासक अर्थात ख़लीफ़ा मानने की प्रतिज्ञा) ली, पूरे इस्लामी राज्य में प्रसन्नता पूर्वक अथवा भयभीत हो कर यजीद को ख़लीफ़ा मान लिया उस समय हज़रत हुसैन रज़ि0 मदीना मुनव्वरा में थे वहीं अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी थे, मदीना के गवर्नर ने दोनों को अलग अलग बुला कर यज़ीद के लिए बैअ़त चाही दोनों ने सोचने का समय मांगा और रातो रात मदीना से मक्का चले गये मक्के में वह सुरक्षित थे, परन्तु कूफा के लोगों ने ख़त पर ख़त लिख कर हज़रत हुसैन को अपने यहाँ आने की दावत दी और लिखा कि हम आपको अपना अमीर बनाएंगे और यज़ीद की बैअ़त तोड़ देंगे इस तरह के अनगिनत ख़त भेजे, हज़रत हुसैन रज़ि0 ने कूफे का हाल मालूम करने के लिए अपने चचा के बेटे मुस्लिम को कूफा भेजा हज़रत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो 18 हज़ार कूफियों ने मुस्लिम के हाथ पर हज़रत हुसैन के लिए बैअ़त की, हज़रत मुस्लिम ने यह हाल हज़रत हुसैन को लिख भेजा, हज़रत हुसैन कूफा जाने की तैयारी करने लगे जब यह खबर मक्के वालों को मालूम हुई तो वहां के लोगों ने आपको कूफा जाने से रोका विशेष कर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और आपके नाना के चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बहुत समझाया और रोका मगर आप न माने और बच्चों औरतों और खानदान के लगभग 17 जवानों के साथ कूफा चल दिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बहुत कहा कि पता नहीं वहां क्या हाल हो कम से कम औरतों और बच्चों को साथ न ले जायें मगर आप न माने रास्ते में कूफा से बुरी खबर आई कि कूफा वालों ने यजीद के गवर्नर इब्ने ज़ियाद से भयभीत हो कर मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और मुस्लिम शहीद कर दिये गये। इस खबर से हज़रत हुसैन को बड़ा दुख हुआ वापसी का इरादा किया मगर मुस्लिम के घर वालों ने कहा हम तो कूफा जाऐंगे और बदला लेंगे या जान दे देंगे हज़रत हुसैन ने भी यही फैसला किया और काफ़िला चलता रहा।

आगे चल कर हज़रते हुर् इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक हज़ार फौज लेकर आ गये और हज़रत हुसैन रज़ि0 को कूफा जाने से रोक दिया। अब हज़रत हुसैन रज़ि0 की समझ में आया कि बात बनेगी नहीं और वापसी के लिए तैयार हो गये लेकिन हुर जो आपसे अ़कीदत रखता था और अपनी फौज के साथ ज़ोहर अ़सर की नमाज़ हज़रत हुसैन के पीछे पढ़ी थी उसने कहा मुझे इब्ने ज़ियाद का आदेश है कि आपको न कूफा जाने दूं न मक्का लौटने दूं किसी तीसरी तरफ आप चल सकते

हैं क़ाफिला रवाना हुआ यहां तक कि करबला पहुंच गया वहां आपने पड़ाव डाल दिया और खेमे लगा दिये, कुछ फासले पर हुर ने भी अपनी एक हज़ार फौज के खेमे लगा दिये यह मुहर्रम की दो तारीख थी आपस में बात चीत शुरु हुई इब्ने ज़ियाद ने कहलाया मेरे हाथ पर यज़ीद के लिए बैअ़त करें हज़रत हुसैन रज़ि0 इस पर राज़ी न हुए दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, इब्ने ज़ियाद ने 4 हज़ार फौज और भेज दी, हज़रत हुसैन रज़ि0 लड़ना न चाहते थे उन्होंने तीन बाते रखीं, या मुझे मक्का वापस होने दिया जाये, या मुझे यज़ीद के पास जाने दिया जाये ताकि मैं उससे मिलकर अपनी समस्या का हल निकाल लूं, या मुझे किसी तरफ जाने दिया जाये मगर इब्ने ज़ियाद ने एक न मानी और कहा बैअत करें या लड़ें अतः 10 मुहर्रम को जब यज़ीदी फौज ने आपका घेरा तंग किया तो आपके साथी भी लड़ने को मजबूर हुए। एक ओर पाँच हज़ार सशस्त्र सेना दूसरी ओर तीर तलवार वाले बहत्तर भूखे प्यासे, फिर भी खूब लड़े मगर चन्द घंटों में सब शहीद कर दिये गये, इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़िऊन करबला में हज़रत हुसैन के 72 लोग शहीद हुए बअ़ज़ इतिहास कारों ने इससे ज़ियादा तअ़दाद लिखी है उनमें 17 लोग हज़रत हुसैन रज़ि0 के क़रीबी अज़ीज़ थे, मर्दों में कोई नहीं बचा सिर्फ 22 वर्षीय हज़रत ज़ैनुल्आ़बिदीन जो बीमार थे खेमे में लेटे रहे वह और उनका गोद का बच्चा मुहम्मद बाक़िर ज़िन्दा बचे। इसके बाद ज़ालिमों ने हज़रत हुसैन रज़ि0 का सर और इस क़ाफिले को कूफा इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचाया, इब्ने ज़ियाद के मुँह से बुरे शब्द निकले, उसके बाद इब्ने ज़ियाद यह काफ़िला लेकर पुरस्कार के लालच में दमिश्क यज़ीद के दरबार ले गया यज़ीद ने क़ाफ़िले को देख कर और हज़रत हुसैन की शहादत की खबर सुन कर इब्ने ज़ियाद पर लअ़नत की और आँसू बहाये क़ाफ़िले को सम्मान के साथ अपने महल में उतारा महल की औरतें भी इस खबर से रोईं। कई सप्ताह तक क़ाफ़िला यज़ीद का मेहमान रहा हज़रत ज़ैनुलआ़बिदीन यज़ीद के साथ खाना खाते थे, फिर यजीद ने सम्मान के साथ, उपहार दे कर क़ाफ़िले को सुरक्षा के साथ मदीना मुनव्वरा भिजवा दिया, चलते वक़्त यज़ीद ने हज़रत ज़ैनुलआ़बिदीन से कहा कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे लिखना। क़ाफ़िला मदीना पहुंचा तो मदीने में कोहराम मच गया। बाद में मदीने में जब यज़ीद का विरोध आरम्भ हुआ और विद्रोह हो गया, यज़ीद ने फौज भेजकर मदीना वालों को बहुत नुक़सान पहुंचाया मगर ज़ैनुलआ़बिदीन और उनके परिवार वालों ने, साथ ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के घर वालों ने इस विरोध और विद्रोह में भाग न लिया। तारीख में कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है कि जिसमें हज़रत ज़ैनुल–आ़बिदीन ने कभी भी यज़ीद के बारे में कुछ कहा हो। हज़रत ज़ैनुलआ़बिदीन ही से हज़रत हुसैन रज़ि0 का

परिवार चला और सारी दुनिया में फैला हुआ है।

हम हज़रत हुसैन रज़ि0 से महब्बत रखते हैं उनको अपना रहनुमा मानते हैं। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ वह अपने अल्लाह से राज़ी हुए।

❖❖❖

प्यारे नबी की .....

हज़रत हुज़ैफा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह का एक बंदा जिस को अल्लाह ने माल से सरफराज फरमाया था, अल्लाह तआ़ला के पास हाज़िर किया गया (यानी कब्र में या हश्र के दिन) अल्लाह तआ़ला ने उससे फरमाया कि तू ने दुन्या में क्या अमल किये, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयत पढ़ी (अल्लाह से कोई बात न छुपा सकेंगे) वह बंदा अर्ज करेगा कि तूने मुझ को माल अता फरमाया तो मैं लोगों से खरीद व फरोख़्त के वक़्त नर्मी और सखावत से काम लेता था मैं मालदार से आसानी का बरताव करता था और नादार को मोहलत देता था, अल्लाह ने फरमाया मैं तुझसे जियादा दर गुजर का हक रखता हूँ, फिर फरमायेगा मेरे बंदे को दरगुज़र करो। उक़बा बिन आमिर रज़ि0 और अबू मसऊद अंसारी रज़ि0 ने कहा कि हम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसी तरह सुना है।

(मुस्लिम)

मक़रूज़ से रिआ़यत करने वाला अर्शेइलाही के साये में–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जिसने नादार को मोहलत दी या कर्ज में कमी कर दी तो अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसको अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया न होगा।

(तिर्मिज़ी)

कर्ज़ के अदा करने के लिए समय कुछ ज़ियादा देना–

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से एक ऊँट (गल्ला या खजूर) मोल लिया, फिर मुझे तौल कर दिया और झुका कर तौला।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू सफ़वान सुवैद बिन क़ैस रज़ि0 से रिवायत है कि मैं और मखरमा अबदी "हजर" (किसी जगह का नाम) से कपड़ा लाये, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे पास तशरीफ लाये और एक पायजामा हम से खरीदा, मेरे पास एक वज़न करने वाला था जो मज़दूरी ले कर वज़न करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे फरमाया तौलो और झुकता हुआ तौलो।

(अबूदाऊद–तिर्मिज़ी)

❖❖❖

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

सुधार और दावत का नबवी तरीक़ा–

रब्बुलआलमीन (सारे जहानों के रब) की ओर से हुजूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी का मक़ाम प्रदान किये जाने पर पूर्ण मानवता के लिए महान नायक की और विश्वव्यापी क्षेत्र में महान मार्गदर्शक की हैसियत प्रदान की गयी और उसका क्षेत्र क़यामत तक विस्तृत कर दिया गया। इस तरह आपको जो स्थान मिला वह मिला लेकिन इससे बढ़ कर यह बात हुई कि इंसानों को उसकी पस्ती और गुमराही से निकलने का काम भी अंजाम पाया, जिसकी सख़्त आवश्यकता सामने आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश के समय पूरा अरब और पूरा अजम ऐसी नैतिक गिरावट और अत्याचार की चरम सीमा पर पहुंच गया था जहां इंसान की हैसियत से इंसान की पहचान समाप्त होती जा रही थी। मानो इंसान अपनी विशेषता से वंचित होने के कगार पर पहुंच गया था कि अल्लाह तआला की रहमत जोश में आई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सूरत में सुधारक पैदा किया और उसको "वही–ए–इलाही" (ईश्वरवाणी) के द्वारा इंसानों को इंसानियत के मुक़ाम पर लाने की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूर्ण रूप से पूरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक महान पैगम्बर होने के साथ साथ एक महान शिक्षक व पोशक भी थे और आपकी शिक्षा व दिक्षा प्रणाली अल्लाह तआला के हुक्म के अनुसार थी।

"अपने रब (पालनहार) के मार्ग की ओर लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइये और उनसे बेहतरीन ढंग से बात कीजिए"।

(सूराः नहल–125)

और दूसरी जगह अल्लाह ने कुर्आन में इरशाद फरमाया *"और इससे ज़ियादा अच्छी बात वाला कौन है जो अल्लाह की ओर बुलाए और नेक काम करे और कहे कि मैं अवश्य मुसलमानों में से हूँ"।* (सूरः हामीम सजदा–33)

अतएव इसके प्रभाव से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह विशेषता प्राप्त हुई जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने इस तरह किया है किः–

"फिर वही जिसके और तुम्हारे बीच दुश्मनी है ऐसा हो जाऐगा जैसे दिली दोस्त और यह उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें और उसे बड़े नसीब वालों के अलावा कोई नहीं पा सकता।" (सूरः हामीम सजदा–34–45)

इस तरह आपकी नीतिपूर्ण दावत और संवेदनशील नसीहत का नतीजा यह हुआ कि दुश्मन दोस्त बन गए लेकिन इसी के साथ साथ इस कार्य प्रणाली को ग्रहण करने में आपको जिस सहनशीलता और धीरज से काम लेना पड़ा वह भी असाधारण था।

अल्लाह तआला की इनायत खास्सा (विशेष कृपा) की बदौलत आप ही के बस की बात थी। अतः सुधार व नसीहत सम्बन्धी वाकियात आपके जीवन चरित्र में खूब मिलते हैं। उसमें महब्बत व अपनाईयत की पूरी स्प्रिट नज़र आती है। इस सिलसिले का एक वाक़िया हदीस की किताबों में भी है कि एक देहाती मस्जिद में कच्ची ज़मीन देख कर पेशाब करने लगा तो मुसलमान उसकी तरफ झपट पड़े ताकि उसकी खबर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा तो रोका और उसको बुलाकर नर्मी से समझाया कि यह अल्लाह की इबादत की जगह है। यहां पेशाब नहीं करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम न गुस्सा हुए न झुंझलाए बल्कि नर्मी और सुलूक से समझाया और कहा कि पानी बहाकर गंदगी को दूर कर दो[1]।

ऐसे ही सिखाने समझाने का एक वाकिया और है वह यह है कि एक व्यक्ति ने माली सहायता के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास देने के लिए कुछ न था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे क्षमा चाही लेकिन वह न माना और मांगता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चादर मुबारक को ऐसा खींचा की आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गर्दन पर निशान पड़ गया और वह खींचता गया यहां तक कि कांटों में उलझा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ौम के शासक की हैसियत से थे आप सख्त सज़ा दे सकते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नर्मी से यह कहते रहे कि हमारे पास इस समय कुछ नहीं है वरना मैं ज़रूर देता[2] और माली लिहाज़ से व्यक्तिगत रूप में आपका यही हाल था कि ज़रूरत पूर्ण करने के लिए आपके पास कुछ भी न होता था, फ़ाका भी करना पड़ता था और कभी कभी दो एक खजूरों पर गुजारा करना पड़ता था।

इसी प्रकार एक अवसर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहायता मांगने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि तुम लोग कंजूस हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नर्म लहजे में कहा मैं कंजूस नहीं हूं मगर देने के लिए कुछ है नही। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस समय नाराज़ नहीं हुए और बहुत नरमी से जवाब दिया। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सखावत (दानशीलता) का यह हाल था कि मेहमानों का सिलसिला रहता और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान के बाहर चबूतरे पर सुफ़्फ़ा वाले जमा रहते थे और उनके खाने का प्रबंध आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ही करना होता था, जब तब फ़ाक़े की नौबत भी आती रहती[3]। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब उपदेश देते और किसी को ग़लती पर चेतावनी देनी

---

1. सही बुख़ारी, किताबुल वज़ू।
2. सही बुख़ारी, किताबुल जिहाद व मुसनद अहमद 3/153।
3. सही बुख़ारी व सही मुस्लिम किताबुज़ जुहद।

होती तो उसका नाम लेकर उसे सम्बोधित करके चेतावनी न देते। बल्कि कहते "लोगों की एक संख्या ऐसी क्यों है कि फ़लां काम क्यों करती है?"

शुद्धीकरण और अंतः सुधार–

अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शिक्षा और हृदय की शुद्धता और सुधार के लिए नियुक्त किया था इसी लिए फरमायाः "वही है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़ कर सुनाता है और उनको पाक करता है और उन्हें किताब व ज्ञान सिखाता है। निःसंदेह यह इससे पहले खुली गुमराही में थे।"

(सूराः जुमा–2)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषताओं में तज़किया यानी इंसानों के अख़लाक़ और आदतों का सुधार करना और उनको अच्छा बनाना ख़ास विशेषता थी, इस विषय में अल्लामा सय्यद सुलैमान नदवी सीरतुन्नबी भाग छः के पृष्ठ 5–6 में लिखते हैं:–

"क़ुर्आन मजीद में जगह जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तारीफ में यह कहा है कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन अरब अनपढ़ जाहिलों को पाक व साफ करता है, उनको किताब व हिकमत की बातें सिखाता है।" (सूराः जुमआ–2)

इस आयत में यह दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं एक पाक साफ करना जिसको कुरआन पाक ने "तज़किया" कहा है और दूसरा "हिकमत"।

1. "तज़किया" का शाब्दिक अर्थ पाक साफ करना, निखारना, मैल कुचैल दूर करना। पवित्र कुरआन ने इस शब्द को इस अर्थ में प्रयोग किया है कि नफ़्से इंसानी को हर प्रकार की गंदगियों और नापाकियों से निखार कर साफ़ सुथरा किया जाए यानी इस आइने के जंग को दूर करके उसमें चमक और निखार पैदा कर दिया जाए।

सूरा वश्शम्स में है:–

"क़सम है नफ़्स की और जैसा उसको ठीक किया, फिर उसमें उकसी बदी और नेकी इल्हाम कर दी निःसन्देह जिसने उस नफ़्स को साफ सुथरा बनाया वह कामयाब हुआ और जिसने उसको मिट्टी में मिलाया वह नाकाम हुआ।"

(अश्शम्सुः7–10)

2. "हिकमत" उसके बाद दूसरा शब्द है। हिकमत का शब्द पवित्र कुरआन में जहां उस इल्म व ज्ञान के अर्थ में जो नूर इलाही की सूरत में नबी के सीने में वदीअत (धरोहर) रखा जाता है और जिसके आसार व मज़ाहिर (लक्षण व सूचक) हर रसूल की ज़बान से कभी मसालेह व असरार (रहस्य) कभी सुनन व अहकाम (आदेश) की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, वहीं उसका दूसरा इतलाक़ (अर्थ) उस इल्म व इरफ़ान के उन अमली आसार व नताएज पर भी होता है जिनमें बड़ा भाग नैतिक शिक्षा का है। कुरआन में दो मौकों पर यह बताया गया है कि इस दूसरे अर्थ की हिकमत में कौन कौन बातें दाखिल हैं। सूरा बनी इस्राईल में तौहीद (एकेश्वरवाद), माँ बाप का आज्ञा पालन, रिश्तेदारों और मोहताजों की मदद करने की नसीहत और फुजूल खर्ची, कंजूसी, औलाद का क़त्ल, दुष्कर्म, किसी बेगुनाह की जान लेने, और अनाथों के सताने की मुमानिअत के बाद वादे को पूरा करने,

ठीक नापने और तौलने और ज़मीन पर अकड़ कर न चलने की ताकीद की गयी है। उसके बाद इरशाद है:—

"यह हिकमत की उन बातों में है जिनको तेरे रब ने "वही" किया"। (सूराः अलइसरा—39)

सूरा लुक़मान में है:—

"और हमने लुक़मान को हिकमत की बातें सिखायीं कि खुदा का शुक्र अदा करो।" (लुक़मान—12)

इसके बाद हिकमत की उन बातों की इसके अतिरिक्त व्याख्या की गयी है कि किसी को खुदा का साझीदार न बना, माँ बाप के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर, नमाज़ पढ़ा कर, लोगों को भली बात करने को कह, और बुरी बात से रोको, मुसीबतों में दृढ़ता और मज़बूती दिखा, घमण्डी न बन, ज़मीन पर अकड़ कर न चल, नीची आवाज़ में बातें कर। इन आयतों से मालूम हुआ कि कुर्आन की परिभाषा में इन स्वाभाविक नेक कामों को भी जिनका भला होना स्वभावतः तमाम क़ौमों और मज़हबों मे मान्य है और जिनको दूसरे अर्थ में अख़लाक कह सकते हैं "हिकमत" कहा गया है।

कुर्आन की शिक्षा.....

तफ्सील सब बातें साफ साफ खोल कर लिखी जायें, लिखने वाले को चाहिए कि बिना इंकार जिस प्रकार शरीअ़त का हुक्म है उसके मुवाफिक इंसाफ़ में कोताही न करे और चाहिए कि क़र्ज लेने वाला अपने हाथ से खुद लिखे या लिखने वाले को अपनी ज़बान से बतलाये और दूसरे के हक़ में ज़रा नुक़सान न डाले।

2. यानी कर्ज लेने वाला अगर बे अ़क़्ल भोला या सुस्त और कमज़ोर है मसलन बच्चा है या बहुत बूढ़ा है कि मुआमले को समझने की समझ ही नहीं है या मुआ़मले को लिखने वाले को बतला नहीं सकता तो ऐसी सूरतों में कर्ज लेने वाले के मुखतार और वारिस और कार गुज़ार को चाहिए कि मुआमले को बिना कम व ज़ियादा किये इंसाफ से लिखवा दे।

3. और तुम को चाहिए कि इस मुआ़मले में कम से कम दो गवाह मर्दों में से या एक मर्द और दो औरतें गवाह बनाई जायें और गवाह लाइक़े एतिबार व एतिमाद हों।

4 यानी गवाह को जिस समय गवाह बनाने के लिए या गवाही देने के लिए बुलाया जाये तो उसको न इंकार और न भागना चाहिए, और मुआमला छोटा हो या बड़ा लिखने लिखाने में काहिली और सुस्ती न करे कि इंसाफ पूरा इसी में है और गवाही पर भी कामिल यकीन इसी लिख लेने में है और भूल चूक और किसी का हक मारे जाने से इतमिमान भी इसमें है।

5. यानी अगर लेन देन का मुआमला नकद हो उधार का किस्सा न हो तो अब न लिखने में गुनाह नहीं मगर गवाह बना लेना उस समय भी चाहिए कि उस मुआमले के वास्ते से कोई लड़ाई झगड़ा पेश आये तो काम आये और लिखने वाला और गवाह नुक़सान न करे बल्कि वाजबी हक़ ही अदा करें।

❖❖❖

—प्रस्तुति—

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग़ होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

इस्लाम के बुन्यादी अक़ायद–

सबसे पहले उन बातों को मालूम करने की ज़रूरत है, जिन पर एक मुसलमान के लिए आस्था (अक़ीदा) रखना और उनके अनुसार अमल करना ज़रूरी है, और जिनके विश्वास के बिना कोई आदमी मुसलमान कहलाने का हक़दार (अधिकारी) नहीं। वह आस्थाएं जो दुन्या के सभी मुसलमानों के बीच सम्मिलित और भारतीय मुसलमान भी उन पर ऐसा ही विश्वास रखते हैं जैसे मक्का मदीने का मुसलमान या मग़रिबे अक़सा (मोरक्को मराकश) या इण्डोनेशिया का मुसलमान, वह आस्थाएं ये हैं।

इस कारखाने कुदरत ब्रह्माण्ड का एक बनाने वाला है जोहमेशा से है, हमेशा रहेगा। वह तमाम खूबियों, तारीफ़ की बातों गुणों और पूर्णता का वाहक और हर प्रकार के दोष अवगुण और त्रुटि से पाक है, तमाम मौजूदात और समस्त ज्ञान उसकी जानकारी में है। ये पूरी कायनात उसी के इरादे से है, ज़िन्दा है, समीअ़ (सुनने वाला) है बसीर (देखने वाला) है, न कोई उसकी तरह है न उसका कोई प्रतिद्वन्दी और न कोई उकसे बराबर का है। वह बेमिसाल है। वह किसी की मदद का मुहताज नहीं। कायनात को चलाने और उसका इन्तिज़ाम करने में उसका कोई साक्षी, साथी और सहायक नहीं। इबादत अर्थात (अतिसम्मान) का केवल वही पात्र है। केवल वही है जो रोगी को आरोग्य बनाता, सृष्टि को जीविका देता और उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है। अल्लाह के अलावा दूसरों को पूज्य बनाना, उनके सामने अपनी हीनता तथा विवशता का इज़हार करना उनके सामने माथा टेकना, उनसे दुआ और ऐसी चीज़ों में मदद मांगना जो मानव शक्ति से बाहर और केवल अल्लाह की कुदरत से सम्बन्ध रखती हैं। उदाहरणतः संतान देना भाग्य अच्छा—बुरा करना, हर जगह मदद के लिए पहुंच जाना, हर फ़ासले की बात सुन लेना। मन की बातों और छुपी हुई चीज़ों का जान लेना इस्लाम की परिभाषा में शिर्क (अनेकेश्वरवाद) है और वह सबसे बड़ा पाप है जो बिना तौबा के माफ़ नहीं होता।

पवित्र कुर्आन में कहा गया है कि—

"उसकी शान ये है कि जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे कह देता है कि "हो जा" तो वह हो जाता है।" (सूरः यासीन—82)

अल्लाह न किसी के शरीर में उतरता है न किसी

का रूप धारण करता है, न उसका कोई अवतार होता है। वह किसी स्थान या दिशा में सीमित नहीं है, वह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वह नहीं होता। वह ग़नी व बेनियाज़ है, किसी चीज़ का भी मुहताज नहीं। उस पर किसी का आदेश नहीं चलता। उससे पूछा नहीं जा सकता कि वह क्या कर रहा है? हिकमत उसकी विशेषता है, उसका हर काम हक़ीमाना है, और अच्छाई लिए हुए है। उसके अतिरिक्त कोई (वास्तविक) शासक नहीं। भाग्य अच्छा हो या बुरा अल्लाह की ओर से है, वह पेश आने वाली चीज़ों को पेश आने से पहले जानता और उनको अस्तित्व प्रदान करता है।

उसके अति सम्मानित और क़रीबी फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की सृष्टि में शैतान भी हैं, जो आदमियों के लिए पाप का कारण बनते हैं, उसकी सृष्टि में से जिन्नात भी हैं।

क़ुर्आन अल्लाह का कलाम है, उसके शब्द व अर्थ सब अल्लाह की ओर से हैं, वह पूर्ण है परिवर्तन (कमी ज़ियादती और तब्दीली) से सुरक्षित है। जो आदमी उसके परिवर्तन या कमी व ज़ियादती का क़ायल हो वह मुसलमान नहीं।

मुर्दों का अपने जिस्मों के साथ मरने के बाद ज़िन्दा होना पूर्ण सत्य है। हिसाब किताब और बदला व दण्ड सत्य है, जन्नत–दोजख सच है।

पैग़म्बरों का अल्लाह की ओर से दुन्या में आना सच है और नबियों के द्वारा अल्लाह का अपने बन्दों को आदेश और शिक्षा देना सत्य है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के आख़िरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं। आपकी दअ़वत और रिसालत सम्पूर्ण जगत के लिए है। इस प्रधानता और विशेषता में तथा इसके अतिरिक्त उस जैसी दूसरी विशेषताओं में वह समस्त सन्देष्टाओं (नबियों) में श्रेष्ठ है। आपको नबी माने बिना ईमान विश्वसनीय नहीं। इस्लाम ही केवल सत्य धर्म है। इसके अलावा कोई अन्य सत्य धर्म ईश्वर (अल्लाह) के यहां स्वीकार और परलोक (आख़िरत) में छुटकारा का माध्यम नहीं। शरीअ़त के आदेश बड़े से बड़े ईशभक्त, संयमी और इबादत करने वाले से भी कभी हटाये नहीं जा सकते।

हज़रत अबू बक्र रज़ि0 हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद इमाम और सच्चे ख़लीफ़ा थे, फिर हज़रत उमर रज़ि0 फिर हज़रत उस्मान रज़ि0 फिर हज़रत अली रज़ि0, सहाबा (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी) मुसलमानों के धार्मिक गुरू और रहनुमा हैं, उनको बुरा–भला कहना ह़राम है और उनका मान–सम्मान अनिवार्य है।

मकामे सहाबा रज़ि0

—मौ0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी

आँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुअ़जिज़ात में हजराते सहाबा रज़ि0 की वह मुअ़जिज़ाना तरबीयत भी है जिसकी तारीखे इन्सानी में कोई मिसाल नहीं मिल सकती। मक्का मुकर्रमा के रहने वाले वह हजरात जो इस्लाम से पहले इन्सानी कदरों से ना वाकिफ थे और उनमें बाज़ ऐसी बुराइयां थीं जिनका ज़िक्र भी बाइसे आ़र है, वह इन्सानीयत को उस बुलन्दी पर पहुंचे जिससे आगे का तसव्वुर भी मुश्किल है।

जिनको काफूर से होता था नमक का धोखा।
बन गये ख़ाक को अक्सीर बनाने वाले।।

अल्लाह तआला ने उनके इस मकामे बुलन्द की गवाही दी है, और उनपर अपने खास फज़्ल का तजकिरा फरमाया है, इरशाद होता है—

"और परहेजगारी की बात उन के साथ जोड़ दी" और वह इसी के मुस्तहिक़ और उसके अहल थे"

(अल फ़त्ह: 26)

एक जगह फरमाया " अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान में रग़बत पैदा फरमा दी और तुम्हारे दिलों में उसे सजा दिया, और कुफ्र व गुनाह और मअ़सीयत से तुम्हें बेज़ार किया" (अल हुजुरात : 7)

और यह कह कर मुहर लगा दी "अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हो गये"

(अल माइदाः 119)

यही वजह है कि तमाम सहाबा के बारे में मुसलमानों का अक़ीदा है कि वह सब के सब उम्मत के अफज़ल तरीन लोग हैं, कोई बड़े से बड़ा वली (जो सहाबी न हो) सहाबा के मुक़ाम को नहीं पहुंच सकता उनमें सबसे ऊँचा मक़ाम सय्यिदना हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, अंबिया के बाद इन्सानों में अफजल तरीन शख़्सीयत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि0 की हैं, फिर हज़रत उमर रज़ि0 का मकाम है, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ि0, फिर हज़रत अली मुरतज़ा रज़ि0 का।

सहाबा से महब्बत ईमान की अलामत है, उनसे बुग्ज़ निफ़ाक़ की अलामत है, इसी तरह अहले बैते नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से महब्बत भी ईमान का तक़ाज़ा है, और यही सही मुसलमानों की पहचान है कि वह सहाबा से महब्बत रखते हैं और अहले बैत से भी, आँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बे शुमार मुअ़जिज़ात हैं उनमें एक मुअ़जिज़ा खुद हज़राते सहाबा और अहले बैत हैं जिनकी पाकीज़ा ज़िन्दगियां हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुअ़जिज़ा हैं, उन हजरात से महब्बत और उनकी अजमत को दिल से मानना यह भी ईमान ही का एक हिस्सा है और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से महब्बत की अ़लामत है।

कठिन शब्दों के अर्थः-

मुअ़जिज़ात = मुअ़जिज़ा का बहु वचन है, अर्थ है चमत्कार। सहाबा = सहाबी का बहु बचन है, अर्थ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के प्यारे साथी। मुअ़जिज़ाना = चमत्कारवाला, बाइसे आर = लज्जा का कारण, तसव्वुर = कल्पना, तज़किरा = ज़िक्र, मअ़सीयत = पाप, बेज़ार = घृणित, अलामत = पहचान, अहले बैत = नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर वाले इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नियां जो मुसलमानों की माताएं हैं जो इस प्रकार हैंः हज़रत ख़दीजा, हज़रते सौदा, हज़रते आइशा, हज़रते हफ़्सा, हज़रते उम्मे सल्मा, हज़रते ज़ैनब, हज़रते उम्मे हबीबा, हज़रते जुवैरिया, हज़रते मैमूना, हज़रते सफ़ीया, हज़रते ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा, हज़रत मारिया, हज़रते रैहाना रजियल्लाहु अन्हुन्न। और आपके चारों बेटे, हज़रत कासिम, हज़रते ताहिर, हज़रते तैय्यब, हज़रते इब्राहीम, रज़ियल्लाहु अन्हुम और आपकी चार बेटियां, हज़रते ज़ैनब, हज़रते रुकय्या, हज़रते उम्मे कुल्सूम, और हज़रते फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्न और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके दोनों नवासे हज़रते हसन व हज़रते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा और आप की दोनों नवासियां हज़रत ज़ैनब और हज़रते उमामा रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत फातिमा की कियामत तक की वह संतान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मार्ग पर चल रही हो उनकी भी गिन्ती अहले बैत में होगी। कुछ उलमा ने हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की संतान को तथा हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़र, हज़रत अक़ील और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की सन्तान को अहले बैत में लिखा है इन पर वाजिब सदक़ा और ज़कात हराम है।

❖❖❖

ख़ौफ़े ख़ुदा

हुर्र हुऐ हम माना हम ने
गयी ग़ुलामी माना हम ने
बदली हालत माना हम ने
हुई तरक़्क़ी माना हम ने
अम्न सुक़ूँ पर ग़ाइब है याँ
चैन दिलों का ग़ाइब है याँ
दहशत गर्दी खुली हुई है
बद उन्वानी गली गली है
रिशवत ख़ोरी काम की चोरी
हर हाकिम के गले लगी है
कैसे होगा दूर फसाद
बता मुझे मेरे हमराज़
मरना है सबको बतलाओ
रब से मिलना है समझाओ
ख़ौफ़े ख़ुदा दिल में बैठाओ
बद उन्वानी दूर भगाओ
करो महब्बत रब से अपने
इसी से पूरे होंगे सपने

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: औरतों के लिए ईद की नमाज़ का क्या हुक्म है? क्या वह ईदगाह जा कर मर्दों के साथ ईद की नमाज़ अदा कर सकती हैं?

उत्तर: ईदैन की नमाज़ मर्दों पर वाजिब है औरतों पर नहीं, यह सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में औरतें ईदैन की नमाज़ अदा करने ईदगाह जाती थीं और पूरे हिजाब के साथ मर्दों के पीछे अपनी सफ़ें बनाती थीं और नमाज़ अदा करती थीं, नमाज़ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने खुत्बे में उनको खास तौर से मुखातब करते थे और ज़रूरत पर उनसे दीन की मदद के लिए चन्दा भी माँगते थे, रिवायत में मिलता है कि बअ़ज़ औरतें चन्दे में अपने बअ़ज़ ज़ेवर भी पेश कर देती थीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद फितने के ख़ौफ़ से सहाब—ए—किराम ने जहां फर्ज़ नमाजों की जमाअ़त छोड़ कर औरतों के लिए घरों में अपनी नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया वहीं जुमा और ईदैन की नमाज़ों में वह शिरकत नहीं करती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "लोगो मेरी सुन्नत और खुलफा—ए—राशिदीन जो हिदायत पाये हुए हैं) कि सुन्नत इख्तियार करना तुम पर ज़रूरी है" चूंकि खुलफा—ए—राशिदीन के ज़माने में औरतें ईदैन और जुमे की नमाज़ में शरीक़ नहीं होती थीं इससे मालूम हुआ कि जुमे और ईदैन की नमाज़ औरतों पर वाजिब नही है लेकिन अगर वह मर्दों के साथ कहीं ईदैन या जुमे की नमाज़ मर्दों और बच्चों की सफ़ों के पीछे अदा कर लेंगी तो उनकी नमाज़ अदा हो जाऐगी और उनको सवाब मिलेगा, जैसा कि मस्जिदे नबवी और मस्जिदे हराम में होता है लेकिन दूसरी मस्जिदों में और दूसरी जगहों पर ऐसा नज़्म नहीं होता इसलिए दूसरी जगह की मस्जिदों में या ईदगाहों में नमाज़ें अदा करने से हनफ़ी आलिमों ने औरतों को रोका है और यही मुनासिब है, मालूम होना चाहिए कि पूरी सऊदिया में हरमैन को छोड़ कर किसी शहर में औरतें ईदगाह जा कर ईदैन की नमाज़ नहीं पढ़ती हैं।

हमारे यहां अहले हदीस हज़रात औरतों को ईदगाह जाने की बड़ी ताकीद करते हैं लेकिन हनफ़ी लोगों और शाफ़ई लोगों की औरतें ईदैन की नमाज़ नहीं पढ़ती हैं न उन पर कोई गुनाह है।

प्रश्न: क्या औरतें घरों में ईदैन की नमाज़ जमाअत से या अलग अलग पढ़ सकती हैं?

उत्तर: जुमे की नमाज़ या ईदैन की नमाज़ सिर्फ जमाअ़त से पढ़ी जाती है इसलिए अलग न कोई मर्द ये दोनों नमाज़ें अदा कर सकता है और न कोई औरत, सिर्फ औरतें जमाअ़त से नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं इसलिए घरों में न वह जुमे की नमाज़ अदा कर सकती हैं न ईदैन की।

प्रश्न: एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मैं बीमारी से अच्छा हो गया तो ताज़िया रखूंगा, वह बीमारी से अच्छा हो गया अब उसके लिए क्या हुक्म है?

उत्तर: ताज़िया रखना बरेलवी और देवबन्दी सभी आ़लिमों के नज़दीक नाजाएज है इसलिए ऐसी मन्नत मानना और उस मन्नत को पूरा करना नाजाएज़ और हराम है।

प्रश्न: एक शख़्स ने मन्नत मानी कि अगर मेरा यह बच्चा ज़िन्दा रहा और बड़ा हो गया तो इसको इमाम हुसैन का पायक बनाऊँगा अल्लाह के फ़ज़्ल से बच्चा बड़ा हो गया है अब उसे मुहर्रम में पायक बनाया जाऐ या नहीं?

उत्तर: पायक के माना हैं पैग़ाम ले जाने वाला इस लिहाज़ से हर मुसलमान जो हज़रत हुसैन रज़ि0 से महब्बत रखता हो वह उनका पायक है और उनका पैग़ामे हक़ लोगों तक पहुंचाता रहता है लेकिन मुहर्रम में पायक बनाने की और बनने की जो रस्म है वह नाजाइज़ है लिहाज़ा ऐसी मन्नत मानना और उसका पूरा करना नाजाएज़ और हराम है। यह अक़ीदा रखना की पायक बनने से बच्चा ज़िन्दा रहा शिर्क है, ज़िन्दगी और सेहत अल्लाह देता है कोई और नहीं।

प्रश्न: हमारे यहां मुहर्रम में 9 तारीख़ को मग़रिब के बाद एक रस्म अदा की जाती है, एक मौलवी साहब कुछ नवयुवकों को पायक बनाते हैं हर पायक उनकी निगरानी में सफ़ेद पायजामा और सफ़ेद कुर्ता पहनता है वह हर पायक की कमर में एक सफ़ेद पटका बांधते हैं और उसके हाथ में रंगीन छड़ी देते हैं, हर पायक रात भर ताज़ियों की जियारत करता रहता है, कभी दौड़ता है कभी आहिस्ता चलता है और या हुसैन, या अली के नारे लगाता रहता है यह सिलसिला उस का रात भर जारी रहता है ना वह ईशा की नमाज़ पढ़ता है न फज्र की ना सोता है, ना बैठता है फिर दिन में कहीं ताज़िये जुह्र से पहले दफ़्न किये जाते हैं कहीं अस्र के बाद हर पायक ताज़िया दफ़्न होने तक इसी हाल में रहता है, पायक बनने की इस रस्म का क्या हुक्म है?

उत्तर: मुहर्रम में पायक बनने की यह रस्म निहायत लग़्व, नाजाइज़ और हराम है इसका छोड़ना ज़रूरी है कोई पायक बने या कुछ भी बने फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ना उसके लिए और सबके लिए कबीरा गुनाह है।

प्रश्न: ताज़िये के गिर्द चिरागां करना मोमबत्ती वग़ैरह जलाना कैसा है और ताज़िये के सामने हलवा, मालीदा और शरबत चढ़ाना और उसका खाना पीना कैसा है?

उत्तर: ताज़िया रखना नाजाइज़ और हराम है उसके गिर्द रौशनी करना भी नाजाइज़ और हराम है, ताज़िया के

सामने हलवा मालीदा और शरबत वग़ैरह रखना शिर्क है और उसका खाना पीना नाजाइज़ व हराम है।

प्रश्न: मुहर्रम में हरे या काले कपड़े पहनना या हरी टोपी लगाना और बद्धी पहनना कैसा है।

उत्तर: मुहर्रम में हरे या काले कपड़े पहनना या हरी टोपी लगाना और बद्धी पहनना नाजाइज़ है।

प्रश्न: मुहर्रम में अ़लम के जुलूस निकालना और ढोल ताशा झांझ बजाना कैसा है?

उत्तर: ढोल ताशा झांझ बजाना हमेशा नाजाइज़ है और मुहर्रम में भी, मुहर्रम में अ़लम के जुलूस निकालना नाजाइज़ है।

-:उत्तर द्वारा सम्पादक:-

प्रश्न: हमारे ऑफिस में वाई फाई लगा है, जिससे हमारे मोबाइल का नेट भी चलता है, क्या हम उससे पर्सनल लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर: अगर विभाग की ओर से रोका न गया हो तथा विभाग को कोई आपत्ति न हो तो उससे ज़ाती लाभ उठाने में कोई हरज नही।

प्रश्न: हिन्दू ईसाई लोग अपने त्योहारों पर मीठा, नमकीन वग़ैरह का उपहार देते हैं, हम भी ईद के मौक़े पर उनको सिवय्यां खिलाते हैं, ऐसा करना कैसा है?

उत्तर: हिन्दू ईसाई आदि अपने त्योहारों के मौके पर शिरकिया कामों में शरीक करें तो शरीक न हों लेकिन खाने पीने के उपहार लेने और ईद आदि के मौक़े पर उनको सिवय्याँ खिलाने में कोई हरज नहीं, अपितु अच्छी बात है, इसलिए कि यहां हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं इस अमल से आपस मे मेल व महब्बत बाक़ी रहेगा, जो एक ऐसे समाज के लिए ज़रूरी है।

प्रश्न: जिस खाने या मिठाई पर ईसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी जाती है वह खाना या मिठाई छोड़ कर दूसरा खाना या मिठाई का खाना कैसा है?

उत्तर: जिस खाने या मिठाई पर ईसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी जाती है वह ग़रीबों का हक़ है, दूसरे खाने या मिठाई खाने में कोई हरज नहीं, हमारे यहां कुछ लोग बाज़ मौक़ों पर ऐसा करते हैं अगरचे यह बिदअ़त की शक्ल है लेकिन बाहमी इत्तिहाद के लिए उस खाने या मिठाई से इन्कार न करना चाहिए और किसी अच्छे मौक़े पर हिक़मत और हमदर्दी से बिदअत की बुराई समझाना चाहिए, ये बात साधारण मुसलमानों के लिए हुई, जो लोग दीन की रहनुमाई करते हैं उनको बिदआ़त की दावतों (भोजों) में शरीक़ न होना चाहिए।

प्रश्न: 15 शाबान की रात को जागना और दिन में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है?

उत्तर: एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस से साबित है, कि 15 शाबान की रात में जागकर नमाज़ पढ़ना चाहिए और दिन में रोज़ा रखना चाहिए, ज़ईफ़ हदीस पर अ़मल करना जाइज़ है, इसलिए जो शख़्स 15 शाबान की रात को इबादत करेगा और दिन में रोज़ा रखेगा वह सवाब पायेगा, लेकिन जो ऐसा न करेगा वह गुनहगार न होगा, अतः चाहिए कि जो शख्स 15 शाबान की रात को नफ़्ल इबादत न करे या दिन में रोज़ा न रखे उसको बुरा न समझा जाये।

शेष पृष्ठ.....26... पर

देवनागरी लिपि में उर्दू

आशूरा

—राशिदा नूरी

आशूरा से मुराद मुहर्रम की दसवीं तारीख है इस दिन रोज़ा रखना मसनून है। एक रिवायत अवाम में मशहूर है, कि जो शख़्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने की वुसअ़त बरते अल्लाह तआला उसको पूरे साल वुसअ़त में रखेगें।

इस बिना पर हसकफी शामी वगैरा ने इस दिन बाल बच्चों पर खर्च करने में फ़राख़ी को मुस्तहब क़रार दिया है। इस रिवायत को दो सनदों से तबरानी ने नक़ल किया है, लेकिन इब्ने रजब ने लिखा है कि ये रिवायत जितनी सनदों से आयी है सब ज़ईफ हैं। इबने ज़ैफी ने तो इसको मौज़ूअ़ (गढ़ी हुई) कहा है, इसी तरह आशूरा के दिन सुरमा लगाने की रिवायत भी बहुत ज़ईफ़ और बअ़ज़ के नज़दीक मौज़ूअ़ है इसलिए सही बात वही है जो इब्नुलइज़्ज़ हनफ़ी ने कही है कि यौमे आशूरा में सिवाये रोज़े के और कुछ साबित नहीं, उस दिन खाने की वुसअ़त वाली रिवायत इसलिए भी ग़लत मअ़लूम होती है कि एक तरफ खाने की वुसअ़त दूसरी तरफ रोज़ा दोनों में तज़ाद है। (क़ामूसुल्फिक्ह जिल्द 4 पेज 365 से संक्षेप के साथ ग्रहीत)

अगरचे यह रिवायतें हद दर्जे ज़ईफ़ हैं उनको नज़र अंदाज़ करते हुए अगर 10 की शब में सहरी का एहतिमाम किया जाये और आशूरा की शाम में इफ़्तार और खाने का ऐहतिमाम किया जाये तो कोई हरज भी नहीं है। यहां यह बात याद रखना चाहिए कि आशूरा का रोज़ा अहम सुन्नतों में से है इसलिए उसको एहतिमाम से रखना चाहिए, सहाब—ए—किराम रज़ि0 तो अपने ना बालिग़ बच्चों से भी ये रोज़ा रखवाते थे, यह भी मुस्तहब है कि आशूरा के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम या ग्यारह मुहर्रम मिला कर रोज़ा रखें बअ़ज़ उलमा ने तो इसको सुन्नत कहा है लेकिन 9 या 11 को मिलाना ज़रूरी नहीं है इसलिए अगर दो दिन रोज़ा रखने की हिम्मत न हो तो आशूरा का रोज़ा न छोड़ें।

आशूरा का दिन बहुत ही बा बरकत है इस दिन बड़े अहम अहम खुशी के वाक़िआत हुए हैं लेकिन उसी दिन करबला का दर्दनाक हादसा भी पेश आया है। हमारी शरीअ़त में खुशी के मौक़े पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तअ़लीम है और ग़म के मौक़े पर सब्र की तलक़ीन है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तालीम है। रिवायात से साबित है कि दस मुहर्रम ही को मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात मिली थी और फिरऔन अपनी फौज के साथ समन्दर में डुबो दिया गया था इसलिए यहूदी लोग खुशी और शुक्रिये में

शेष पृष्ठ .....26....पर

कहानी कान में छेद की

—इदारा

अल्लाह के फ़ज़्ल से मेरे पाँच पोतियां हैं और एक नवासी, सब की सब आ़लिमा हैं, अपनी ज़रूरत की हिन्दी और अंग्रेज़ी भी जानती हैं, दो ने तो करामत डिग्री कॉलेज से बी0ए0 भी कर लिया है, अल्लाह का शुक्र सब की सब मेरी खूब खिदमत करती हैं। एक रोज़ एक पोती ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, "दादा जान आपके बाएं कान की लौ में छेद का चिन्ह क्यों है? मैंने उत्तर दिया, बेटी इसकी एक रुचिकर कहानी है। उसने कहा दादा जान फिर तो अवश्य सुनाइए। मैंने कहा सुनो!

मेरे एक प्रश्न पर मेरी वालिदा ने बताया कि हमारे परिवार में बेटी या बेटे के जन्म पर समान खुशियां मनाई जाती थीं परन्तु यदि किसी के केवल बेटी हो और बेटा न हो तो वह दुखी रहता था यही हाल तुम्हारे वालिद का और मेरा था। मेरे एक बेटी थी बेटा कोई न था, दो बेटे पैदा हुए मगर अल्लाह को प्यारे हो गए मैं दुखी रहती थी और चिन्तित रहती थी मैं अनपढ़ थी तुम्हारे वालिद भी बहुत ही कम पढ़े थे। मैंने कहा माँ, आपके नाना तो एक बड़े खातेदार, जमीनदार और गाँव के मुखिया थे, आपके वालिद भी अच्छे काश्तकार थे फिर आप अनपढ़ क्यों रहीं? और वालिद साहब की शिक्षा क्यों न हुई? उन्होंने उत्तर दिया मैं तो अनपढ़ इसलिए रही कि उस समय सभ्य परिवार में लड़कियां पढ़ाई न जाती थीं और सोच यह थी कि अनपढ़ लड़की भले आचरण वाली, सतीत्वान, अपने पति की आज्ञाकारी तथा उससे प्रेम करने वाली होती है। रही बात तुम्हारे वालिद की शिक्षा न होने की तो उस समय आज कल की तरह हर जगह न स्कूल थे न मदरसे, छोटे जमीनदार अपने दरवाज़े पर मौलवी रखते थे, तुम्हारे पिता मेरे सगे मामू के बेटे थे, नाना जान की चौपाल में एक मौलवी पढ़ाते थे, परिवार के बच्चों के साथ तुम्हारे वालिद ने भी पढ़ना आरम्भ किया लेकिन अल्लाह की मरज़ी नाना के एक भतीजे की किसी से लड़ाई हो गयी और लाठी चल गई, उसमें मुख़ालिफ पार्टी का एक आदमी मारा गया, ब्रिटिश काल था बहुत जल्द परिवार के सारे व्यस्क जेल भेज दिये गये और नाना के भतीजे को काला पानी भेज दिया गया, मौलवी साहब अपने घर चले गये, दूसरे बच्चों के साथ तुम्हारे वालिद की भी शिक्षा रह गई। यह बातें सुन कर मुझे दुख हुआ, मैंने कहा अम्मा आगे की बात बताइए, माँ ने फिर बात शुरु की। मैं अनपढ़ थी और दुखी रहती

थी, करीब के गाँव की एक बूढ़ी औरत मेरे पास आया करती थीं, मेरा हाल जान कर उन्होंने एक दिन कहा, बिटिया मेरी बात मान लो, मन्नत मानो कि अबकी बार बेटा पैदा हुआ और जीवित रहा तो इमाम साहब का ताज़िया रखूँगी, अ़लम चढ़ाऊँगी, बेटे को इमाम साहब का गुलाम और फक़ीर बनाऊँगी और जब बेटा बड़ा हो जायेगा तो उसे इमाम साहब का पायक बनाऊँगी। मैं अनपढ़ जाहिल, यह सब मान लिया अल्लाह के फज़्ल से तुम पैदा हुए, इमाम साहब का गुलाम बनाने के लिए तुम्हारे बाएँ कान की कुचिया छेद कर सोने का दुर डाल दिया गया, मुहर्रम आया तो ताज़िया रखा गया और दो अलम चढ़ाये गये, तुमहारे गले में इमाम साहब की गुलामी का क़लादा (माला) डाल दिया गया, जब तुम चलने फिरने लगे तो मेरी खाला ज़ाद बहन ने तुमको इमाम साहब का फक़ीर बना कर भीख मंगवाई, और फिर कान का दुर बेच कर ख़ैरात किया गया। ताज़ियादारी का सिलसिला बराबर चलता रहा यहाँ तक कि तुम सयाने हो गये और पढ़ लिख कर होशियार बन गये।

अब मेरी जबानी सुनो, मैं बराबर ताज़िया में हिस्सा लेता, अलम मिलाने निकलता, ढोल ताशे बजाता, मरसिए पढ़ता, शहादत नामा पढ़ता, मजलिस पढ़ता, इसलिए कि मैं पढ़ा तो था मगर दीन न पढ़ा था। अल्लाह ने कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कराई जो दीन से परिचित थे, उन्होंने मुझको कई दीनी किताबें दी, जिनसे मैं दीन से परिचित हुआ, मुझे वालिद साहब के बस्ते में एक किताब मिली जिसमें ताजियादारी और उससे सम्बन्धित तमाम बातों की बुराई बहुत अच्छी तरह समझाई गयी थी, मैंने वालिद साहब से कहा, आपके बस्ते में यह किताब मिली है, उन्होंने उत्तर दिया हां हां मुझे सब मालूम है परन्तु समाज का विरोध करना मेरे बस का नहीं। मैंने कहा वालिद साहब! आप समाज को नाराज़ नहीं कर सकते परन्तु क्या अल्लाह को नाराज करने का साहस रखते हैं? वह सक्ते में आ गये और बिलकुल चुप हो गये, मैंने कहा, मुहर्रम आ रहा है आप उसमें सरग़ना का रोल अदा करते हैं आप उसमें भाग न लीजिए, मैं समाज व परिवार वालों को समझा लूंगा, अतः मैंने ऐसा ही किया, सबसे कठिन काम मेरे लिए मां को समझाना था परन्तु चाहे वह समझी हों चाहे बेटे की महब्बत में वह सब मान गईं और ताज़ियादारी से अलग हो गईं, मैंने उनको समझाया कि ऐसी मन्नत मानना नाजाइज़ और उसका पूरा करना हराम है, उन्होंने कहा मैं सब से तौबा करती हूं और अल्लाह से मुआफ़ी चाहती हूं। अलबत्ता परिवार वाले और समाज के लोग मुझसे ना खुश हो गये, परन्तु वह मेरे आचरण, मेरे स्वभाव और मेरी नमाज़ की पाबन्दी से प्रभावित थे, अतः मुझे कोई हानि न पहुँचाई

मेरी बातें सुनते और उसकी सच्चाई मानते रहे लेकिन कुछ लोगों के सिवा परिवार और गांव के दूसरे लोग यद्यपि मेरा आदर करते परन्तु उन्होंने ताज़ियादारी न छोड़ी। अलबत्ता इतना अन्तर ज़रूर हुआ है कि ताज़ियादारी बाप दादा की रस्म समझ कर नहीं छोड़ते हैं लेकिन ताज़िया की मन्नत नहीं मानते। लेकिन दूसरे जाहिल लोग ताज़िया के साथ बहुत से शिर्किया अमल करते हैं, एक तरफ तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का ग़म मनाते हैं तो दूसरी तरफ ढोल ताशे बजाते हैं। यह सब कुछ हुआ परन्तु मेरे कान में छेद का निशान अब तक है, यह सुन कर मेरी पोती खूब हंसी।

ताज़ियादारी और अज़ादारी तमाम उलमा के नज़दीक नाजाइज़ है यहां तक कि बरेली के बड़े आलिम मौलाना अहमद रज़ा खाँ ने तो ताज़ियादारी के रद (खण्डन) में एक पुस्तिका ही लिख दी है। उनसे सम्बन्धित तमाम बरेलवी उलमा ताज़ियादारी को नाजाइज़ लिखते हैं और कहते चले आ रहे हैं, नदवतुल उलमा, देवबन्द और सहारनपुर के उलमा तो ताज़ियादारी के हमेशा मुखालिफ रहे हैं। दुनिया के किसी इस्लामी मुल्क में ताज़ियादारी नहीं होती ये तो केवल बर्रेसग़ीर (उपमहाद्वीप) की रस्म है।

❖❖❖

आशूरा .....

10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूद से फर्क़ करने के लिए चाहा था कि 10 मुहर्रम के साथ आगे या पीछे का एक दिन मिला कर रोज़ा रखा जाये, लेकिन अब तो दुन्या के यहूदी न आशूरा को जानते हैं न अर्बी महीनों का उनके यहां चलन है लिहाज़ा अब सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने में यहूदियों से मुशाबहत का सवाल ही नहीं, लेकिन एक रोज़े के मुकाबले में दो रोज़े में बहुत ज़ियादा सवाब है इसलिए अच्छा यही है कि दो रोज़े रखे जाएं।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर.....

प्रश्न: क्या सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ना बख़्शिश के लिए काफी है?

उत्तर: सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है बख़्शिश के लिए ज़बान से कलमा पढ़े और दिल से उसको माने।

प्रश्न: कहते हैं कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वह बख़्शा जायेगा क्या यह सही है?

उत्तर: यह सही है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वह अपने गुनाहों की सज़ा पा कर या अल्लाह के करम से मुआफ़ी पा कर ज़रूर बख़्शा जायेगा लेकिन ज़र्रा बराबर ईमान को या तो वह बन्दा जानता है या उसका रब, वल्लाहु आलम।

प्रश्न: क्या औरतों के लिए ना महरम मर्दों के सामने क़ुरआन शरीफ़ की रू से सर ढ़कना फर्ज़ है?

उत्तर: हाँ औरतों के लिए ना महरम मर्दों के सामने सिर ढ़कना कुर्आन शरीफ़ की रू से फर्ज़ है। जिसका बयान सूर–ए–नूर की आयत नं0 31 में मौजूद है उसकी तफसीर देखना चाहिए।

ईमान वालों के लिए बशारत (शुभ सूचना)

—फ़ौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाज़िला

निःसन्देह जिन लोगों ने कहा हमारा रब (स्वामी) अल्लाह है फिर उस पर जमे रहे, उन लोगों पर फ़िरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं भैभीत मत हो, दुखी मत हो और जन्नत की शुभ सूचना लो जिसका तुम से वादा था हम दुन्या में भी तुम्हारे मित्र रहे और आख़िरत में भी तुम्हारे मित्र रहेंगे (इस जन्नत में) तुम्हारे लिए वह सब है जो तुम्हारा मन चाहे और तुम को वह सब मिलेगा जिसकी तुम माँग करोगे, यह अतिथि सत्कार बड़े दयालू क्षमा करने वाले अल्लाह की ओर से है। सूर—ए—हा—मीम—सजदा, आयत 30—32 का भावार्थ।

जिसने कहा हमारा रब अल्लाह है उसने इस बात की प्रतिज्ञा की कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई और स्वामी नहीं है, पूज्य नहीं है अर्थात उसने एकेश्वर वाद की प्रतिज्ञा की अर्थात उसने कहा कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, फिर शैतान तथा नफ़्स ने उसे जब भी बहकाने का प्रयास किया तो उसने अल्लाह से पनाह (शरण) मांगी और अपने कथन "हमारा रब अल्लाह है" पर जमा रहा, या उसकी आपदाओं से परीक्षा हुई तो उसने धैर्य से काम लिया और कहा "हम तो अल्लाह ही के हैं और उसी की ओर लौट के जाने वाले हैं" तथा अपने कथन "हमारा रब अल्लाह है" पर जमा रहा, इसी प्रकार जब उसको भले दिन मिले, धनवान हो गया तो न वह इतराया न घमण्ड किया न दिखावे के काम किये न अपव्यय पर धन उड़ाया अपितु अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करता रहा और अपने प्रण "हमारा रब अल्लाह है" पर जमा रहा उसने कभी किसी दशा में भी शिर्क (अल्लाह का साझी) नहीं किया और न निफ़ाक़ (बाहर से इस्लाम और अन्दर से इस्लाम का विरोध) में पड़ा, ऐसे एकेश्वरवादी तथा सदाचारी बन्दे का इस जीवन में भी अल्लाह के हुक्म से फ़िरिश्ते उसका साथ देते हैं उसकी सहायता करते हैं उसके मन में संतोष (सकीना) उतारते हैं और जब उसकी मौत का समय आता है तो फ़िरिश्ते उस पर प्रकट होते हैं, इसी प्रकार क़ब्र में नकीरैन (दो विशेष फ़िरिश्ते) के प्रश्नों के पश्चात उस पर प्रकट होते हैं इसी प्रकार जब क़ियामत में वह क़ब्र से उठाये जायेंगे उस समय भी फ़िरिश्ते उसके सामने आएंगे। इन तीनों समयों पर वह ईमान वालों (अल्लाह हमारा रब है कहने वालों और उस पर जमे रहने वालों) से कहेंगे अब मत डरो भविष्य की किसी बात का भय मत करो और किसी बात पर दुखी मत हो और शुभ सूचना लो उस जन्नत की जिसका तुम से वादा था (यह वादा पवित्र कुर्आन की बहुत सी आयतों में है एक आयत का भावार्थ है निः सन्देह जो लोग ईमान लाए और भले काम किये

उनके लिए ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है। सू–रए–बुरूज) यह वह जन्नत है जिसके विषय में पवित्र कुर्आन में अनेकों स्थान पर उल्लेख हुआ है एक जगह का भावार्थ इस प्रकार है "उसमें ऐसे जल की नहरें होंगी जो कभी विकृत न होगा, उसमें ऐसे दूध की नहरें होंगी जो कभी ख़राब न होगा, उसमें स्वच्छ तथा शुद्ध मधु की नहरें होंगी, उसमें हर प्रकार के फल होंगे" (सू–रए–मुहम्मद आयत–15) तथा वह फ़िरिश्ते कहेंगे हम तो दुन्या में भी तुम्हारे साथ रहे तुम्हारे मित्र रहे, और आख़िरत में भी तुम्हारे मित्र रहेंगे। इस जन्नत में तुम वह सब पाओगे जो तुम्हारे मन में आयेगा, इस जन्नत में तुम वह सब पाओगे जिसकी तुम मांग करोगे यह अतिथि सत्कार है उस दयावान अल्ला की ओर से जो बड़ा क्षमावान भी है।

धोखा न खाना चाहिए यह अल्लाह का भेद है वह अपने बन्दों की परीक्षा लेता है उसने अस्पष्ट कह दिया है कि "क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वह यह कहें कि हम ईमान ले आए फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाये, परखा न जाये, हमारा नियम रहा है कि हम ईमान लाने वालों को परखते रहे हैं। सू–रए–अनकबूतः 2,3 का भावार्थ।

अतः हमको चाहिए कि हम आपत्ति आने पर घबराएं नहीं अल्लाह से मदद मांगे और दीन पर जमे रहने के साथ धैर्य से काम लें अल्लाह तआला अपने फ़िरिश्तों द्वारा हमारी मदद करेगा, इसी प्रकार समृद्धि दशा में पापों से बचते हुए एकेश्वर वाद (तौहीद) पर जमे रहें, अल्लाह के आदेशों पर चलते रहें ताकि अल्लाह के हुक्म से फ़िरिश्ते हमारी सहायता इस दुन्या में भी करते रहें और मौत के समय हम को शुभ सूचना दें।

खुदा न करे जब आपदा आये या विपत्ति आये तो हमको चाहिए कि हम इस्लाम के शहीदों की विपत्तियां याद करें और शन्ति प्राप्त करें जैसे हज़रत सुमय्या की मुसीबतें और शहादत, बिअरे मऊना के 69 शुहदा की शहादत, बदरी शहीदों की शहादत, उहुद के शहीदों की शहादत विशेष कर सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा की शहादत, हज़रत उमर रज़ि0 की शहादत, हज़रत उस्मान रज़ि0 की शहादत, हज़रत अली रज़ि0 की शहादत, हज़रत हसन रज़ि0 की शहादत, हज़रत हुसैन रज़ि0 की शहादत, उनके पोते हज़रत ज़ैद की शहादत और बहुत से शुहदा हैं उनकी शहादत उनकी मुसीबत याद करके शन्ति प्राप्त करना चाहिए अल्लाह तआला उन सब शहीदों से राज़ी हुआ वह भी अपने रब से राज़ी हुए अल्लाह तआला ने उनका दर्जा इतना बढ़ाया कि आदेश दिया (उनको मुर्दा मत कहो वह ज़िन्दा हैं) हम सब शहीदों से प्रेम करते हैं और उनके रास्ते पर चलने पर गर्व करते हैं।

❖❖❖

बात अठन्नी की (ग्रहीत)

पुरानी कथा

रसीला, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। दस रूपए वेतन था। गाँव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घरवालों का गुज़ारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार–बार प्रार्थना की पर वह हर बार यही कहते, "अगर तुम्हें कोई ज़ियादा दे तो अवश्य चले जाओ। मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा।"

वह सोचता, "यहां इतने सालों से हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहां से जाऊँ तो शायद कोई ग्यारह–बारह दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा।"

जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता।

एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देख कर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा। फिर रमज़ान ने कहा, "कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध।"

रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आँखें भर आईं।, बोला, "घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रूपया नहीं है।"

"तो मालिक से पेशगी[1] माँगलो।"

"कहते हैं, एक पैसा भी न दूँगा।"

रमज़ान ने ठंडी साँस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपनी कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रूपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुँह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, "बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे।"

रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण[2] चुका दिया। केवल आठ आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न माँगे फिर भी रसीला उसके आगे आँख न उठा पाता।

एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस पाँच सौ! इतनी–सी रकम देकर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं।"

"हुज़ूर मान जाइए। आप समझें आपने मेरा काम मुफ़्त किया है।"

---

1. पहले दिया जाने वाला धन।
2. कर्ज़।

रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, "रूपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मज़दूरी करता हूँ तब महीने भर बाद दस रूपए हाथ आते हैं।" वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, "बस इतनी सी बात! हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरू हैं। आज भी एक शिकार फँसा है। हज़ार से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता।"

रसीला सोचता रहा। मेरे हाथ सैंकड़ों रूपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक–एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, "रसीला, दौड़ कर पाँच रूपए की मिठाई ले आ।"

रसीला ने साढ़े चार रूपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटा कर समझा कि कर्ज़ उतर गया।

बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, "यह मिठाई पाँच रूपए की है?"

"हुजूर पाँच की ही है।"

रसीला का रंग उड़ गया[1]। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुँह पर एक तमाचा मारा और कहा, "चल मेरे साथ जहाँ से लाया है।"

"हुजूर, झूठ कहूँ तो....." रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, "अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना।"

अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, "माई बाप, गलती हो गई। इस बार माफ़ कर दें।"

इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में पाँच का नोट रखते हुए बोले, "मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते[2]।"

दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फँसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आँखें खुल गई थी। हाथ जोड़ कर बोला, "हुजूर, मेरा पहला अपराध है। इस बार माफ़ कर दीजिए। फिर गलती न होगी।"

शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को छह महीने की सजा सुना दी और रूमाल से मुँह पोंछा। यह वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने हज़ार रूपए बाँध कर दिए थे।

फैसला सुन कर रमज़ान की आँखों में खून उतर आया[3]। सोचने लगा,

---

1. घबरा गया।

3. दुष्ट व्यक्ति पर समझाने–बुझाने का प्रभाव नहीं पड़ता।

4. बहुत क्रोध आया।

शेष पृष्ठ ...37..पर

बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम

इस्लाम में विवाह

—इदारा

इस जगत में हर मनुष्य की तीन मौलिक आवश्यकताएं हैं खाना, रहना तथा सन्तान पैदा करना, खाने में जीविका उपारजन की समस्त बातें आ जाती हैं, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना आदि, क्या खाएं और उसे कैसे प्राप्त करें हलाल, हराम (वैध, अवैध) सब का सम्बन्ध इसी से है, रहने में कहां रहें क्या पहनें, इन सब चीजों में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो सब की प्राप्ति से सम्बन्धित बातें इस में आती हैं। सन्तानोत्पत्ति की आवश्यकता हर जीव धारी में प्राकृतिक है और विधाता ने उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि हर जीव में संयोग स्वाद द्वारा प्रबल काम इच्छा रख दी है जिसकी पूर्ति तथा प्राप्त के लिए हर जीव अन्तिम सीमा तक चेष्टा करता है। परन्तु मनुष्यों ने मालिक की दी हुई बुद्धि से अपने समाज को शान्ति मय रखने के लिए विवाह की व्यवस्था की और उसके नियम बनाए।

इस्लाम ने आखिरत की ज़िन्दगी (पारलौकिक जीवन) की पूर्ति को मूल बताते हुए मनुष्य की इन तीनों मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था उत्तम ढंग से की है। इन पंक्तियों में हम तीसरी मौलिक आवश्यकता के उत्तम साधन विवाह पर कुछ लिखेंगे।

इस्लाम न इस प्राकृतिक काम इच्छा को रोक कर सन्यास का आदेश नहीं दिया है कि यह तो मानव हत्या का साधन है और यदि समस्त मानव इसी वृत्ति के हो जाएं तो थोड़े ही दिनों में यह धरती आदम की सन्तान से खाली हो जाए परन्तु यह भी स्मरणीय है कि समस्त मानव इस वृत्ति के हो नहीं सकते इसलिए कि विधाता चाहता है कि मानव जगत बाकी रहे अतः उसने इस की व्यवस्था इस प्रकार की:

ऐ मनुष्य वह (विधाता) वही है जिसने तुम को (अर्थात दादा आदम को) एक जीव से जीवन दिया और उसी एक जीव धारी (आदम) से उसकी पत्नी (दादी हव्वा) को बनाया ताकि उसकी ओर प्रवत्ति हो कर शान्ति प्राप्त करे। (अअ़राफः 189)

और उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारी ही जिंस (जाति) से पत्नियां बनाईं ताकि तुम उनसे आनन्द प्राप्त करो और तुम्हारे बीच प्रेम तथा करूणा का भाव उत्पन्न कर दिया, इसमें सोच विचार करने वालों के लिए (विधाता को पहचानने की) निशानियाँ हैं। (रूमः 20)।

तात्पर्य यह कि मनुष्य की काम प्रवृत्ति स्त्री की ओर तथा स्त्री की काम प्रवृत्ति पुरुष की ओर होना

स्वाभाविक है। इस्लाम ने इसको रोका नहीं अपितु इसकी पुष्टि की है, अलबत्ता इसको नियमित करके समाज को स्वक्ष, पवित्र तथा शांतिमय बना दिया क्यों न हो "क्या (मानव प्रवृत्ति को) वह न जानेगा जिसने उसको अस्तित्व दिया।" (67:14)

मनुष्य की काम इच्छा की पूर्ति तथा संतानोत्पत्ति के लिए इस्लाम ने निकाह का प्रतिबन्ध लगाया, ऐसा नहीं कि पशुओं की भांति जिस स्त्री को जहां चाहा सम्बन्ध स्थापित कर लिया। निकाह के विस्तृत नियम बताये–

(निकाह के लिए) हराम (अवैध) की गई तुम पर तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, फूफियां, खालाएं (मौसियाँ), भाई की बेटियाँ, (भतीजियाँ), बहन की बेटियाँ (भाँजियाँ), वह स्त्रियाँ जिनका तुमने दूध पिया (दूध के सम्बन्ध की माताएं) तथा उनकी बेटियाँ (दूध में सम्मिलित बहनें) पत्नियों की माताएं (सास) तुम्हारी पत्नियों की वह बेटियां जो तुमसे पहले वाले पति से लेकर आई हों जब कि तुमने निकाह के पश्चात उन पत्नियों से सहवास कर लिया हो परन्तु यदि केवल निकाह हुआ हो और तुमने उनसे सहवास न किया हो कि अलगाव हो गया हो तो उनकी पूर्व पति से लाई बेटियां भी तुम पर हराम नहीं हैं। तुम्हारी पीठ से पैदा तुम्हारे बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम हैं। दो बहनों का एक साथ पत्नी बनाना भी हराम है। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला बड़ा दयालू है। (अन्निसाः 23)

यहाँ जिन स्त्रियों को हराम कहा गया है उनकी बेटियां, बेटियों की बेटियां अर्थात नवासियां आदि भी हराम हैं। अगली आयत में बताया कि जो स्त्रियां किसी के निकाह में है वह भी हराम हैं। हराम होने का अर्थ यह है कि उनसे निकाह वर्जित है।

इस्लाम ने स्वतंत्र कामवासना पर सम्पूर्ण नियंत्रण किया है, आदेश दियाः व्यभिचार के निकट भी न जाओ। (बनी इस्राईलः 32) तथा स्वतंत्र कामी व्यभिचारी के लिए इतना कठोर दण्ड रखा है कि कोई स्वतंत्र संभोग की कल्पना भी न कर सके।

इस्लामिक विधान अपनी सृष्टि से पूर्णतया परिचित विधाता का बनाया हुआ है अतः उसने अपने बन्दों को स्वतंत्र काम वासना से बचाव के लिए पर्दा अनिवार्य किया और अपने नबी को आदेश दिया कि–

ईमान वालों से कह दीजिए की वह अपनी निगाहों को बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, यह उनके लिए अधिक अच्छी बात है, अल्लाह को उस सबकी पूरी खबर रहती है जिसको वह किया करते हैं। (अन्नूरः 30)

ईमान वालियों से कह दीजिए कि वह अपनी निगाहें नीची रखें (अकारण पुरुषों को न घूरें) अपने गुप्तांगों की रक्षा करें (व्यभिचार से दूर रहें) अपने श्रृंगार को छुपाएं सिवाए इसके जो

स्वतः दिख जाए अपने सीनों को ओढ़नियों से ढांके रखें, अपनी शोभा न दिखाएं सिवाए अपने पति के या अपने पिता के या पति के पिता (ससुर) के, या अपने बेटों के या अपने पति के बेटों (सौतेले बेटों के या अपने भाइयों के या भाई के बेटों (भतीजों) के या बहन के बेटों (भांजों) के या अपनी जैसी स्त्रियों के या अपनी बांदियों के, या ऐसे सेवकों के जिन में काम इच्छा ना (रह गई) हो या उन बालकों के जो अभी स्त्रियों के गुप्तांगों (से आनन्दित होने) से अवगत न हों (इन सबके अतिरिक्त किसी के समक्ष अपनी शोभा प्रकट न करें) और (गहने पहने) पैरों को धरती पर धमक कर न रखें कि जिससे छुपी वस्तु जान ली जाए (कि कोई युवती चल रही है) और तुम सब अल्लाह से अपनी भूल चूक पर क्षमा मांगो ताकि सफल हो जाओ। (अन्नूरः 31)

पुरुष तथा स्त्री के वह सम्बन्ध जिनके कारण परस्पर पर्दा नहीं, ना ही उनमें निकाह का सम्बन्ध हो सकता हो यह नाते परस्पर "महरम" कहलाते हैं, यह "महरम" एक परिभाषा है जिसका अर्थ है वह जिससे पर्दा नहीं, ना ही उससे कभी निकाह हो सकता है। इन में पति भी आता है जो पहले महरम न था (अर्थात ना महरम था) परन्तु निकाह से उसकी परिस्थिति बदल गई। पत्नी के साथ उसकी बहन को जो निकाह में एकत्र करने से रोका गया है तो पत्नी की बहन (साली) भी महरम नहीं है, इसी प्रकार पत्नी की माँ के अतिरिक्त उसकी फूफी, मौसी आदि भी महरम नहीं है। इसलिए कि पत्नी को तलाक़ हो जाए तो उसकी इद्दत पूरी होने पर या पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन या फूफी या मौसी से निकाह वैध है। परन्तु उसकी दादी नानी महरम हैं।

जिन स्त्रियों से निकाह अवैध बताया गया है सभी लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं परन्तु दुःख होता है यह देख कर कि जिन के पर्दे का आदेश दिया गया अधिकांश लोग उनसे पर्दा नहीं करते जब कि नामहरमों से पर्दा न करने की गिन्ती बड़े पापों में है। जिन लोगों ने आदत से या किसी विवशता से पर्दे को छोड़ रखा है उनको चाहिए कि कम से कम इतना तो करें कि नामहरम के सामने स्त्री अपना पूरा शरीर ढके, बालों को इस प्रकार ओढ़नी या स्कार्फ़ से बन्द करे कि एक बाल भी न दिखे फिर आवश्यकता है तो गट्टे से दोनों हाथ तथा मुखड़ा खोल सकती हैं, परन्तु कोई स्त्री किसी नामहरम पुरुष के साथ एकान्त में न हो यहां यह याद रहे कि अनवेषणातमक बात (तहक़ीक़ी बात) यही है कि मुखड़े का भी पर्दा है परन्तु पर्दा न करने वाले उक्त पर्दा कर लें तो आशा है उनको क्षमा मिल जाएगी।

निकाह एक इबादत

(उपासना) है, अल्लाह तआ़ला ने आदेश दियाः तुम (ना महरमों में से) अपनी रुचि की स्त्रियों से निकाह़ कर लो (आवश्यकतानुसार) दो से या तीन से या चार से (चार से अधिक नहीं, और उनमें शरअ़ी न्याय अनिवार्य होगा) परन्तु यदि तुमको भय हो कि (शरअ़ी) न्याय न कर सकोगे तो केवल एक से निकाह़ करो। (अन्निसाः 3)

अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जवानों को सम्बोधित करते हुए आदेश दियाः ऐ युवा जनों! तुम में से जो पौरुषीय शक्ति (मर्दाना कुव्वत) रखता हो उसको चाहिए कि वह निकाह करे कि निकाह निगाह़ की सुरक्षा करता है तथा गुप्तांगों को (व्यभिचार पाप) से बचाता है। (बुख़ारी)

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूचित किया कि "निकाह मेरी सुन्नत है जो मेरी सुन्नत से विमुख हुआ वह मेरा नहीं रहा। (तिर्मिज़ी) और सूचित किया कि "जब बन्दे ने निकाह़ कर लिया तो निःसंदेह उसने आधा दीन पूरा कर लिया अब वह शेष आधे में अल्लाह से डरे, (अर्थात अल्लाह की अवज्ञा से बचे) (मुस्लिम)

जब निकाह़ एक इबादत (उपासना) है तो जिस प्रकार वुज़ू में, नमाज़ में, रोज़े में, ज़कात देने में, ह़ज्ज करने में, हम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन इबादतों के करने की विधि बताई है उसी ढंग से करते हैं, ऐसे ही निकाह़ में हमको अपनी ओर से कुछ न मिलाना चाहिए।

निकाह़ में पहली बात लड़के का चयन है इस सिलसिले में लोग बड़ी भूल करते हैं–

अबू हातिम मुज़नी से रिवायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कोई शख़्स (तुम्हारी अ़ज़ीज़ा को) पैग़ाम दे और तुम उसके दीन व अख़लाक़ से मुतमइन हो तो उससे अपनी अ़ज़ीज़ा का निकाह़ कर दो अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर बड़ा फ़ित्ना व फसाद पैदा होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अगर उसमें कुछ हो अर्थात दूसरी हैसीयत से कुछ कमी हो? अर्थात ग़रीब हो, रूपवान न हो आदि, फरमाया अगर दीन व अख़्लाक़ में वह तुमको पसन्द है तो उससे निकाह़ कर दो, तीन बार ऐसा ही कहा।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

तात्पर्य यह है कि यदि तुम दीनदार और अच्छे स्वभाव का लड़का पाते हुए उसकी ग़रीबी के सबब उससे निकाह़ न करोगे तो एक तो समाज में यह सन्देश जाएगा कि निर्धन से निकाह़ न करना चाहिए, इस प्रकार जवान लड़कियों और जवान

लड़कों की शादी में जब अधिक देर होगी तो निःसंदेह समाज में उपद्रव होगा। अतः लड़के के चयन में आयु की समानता, माता पिता के शुद्ध होने की समानता जैसी सभी आवश्यक बातों को भली भांति देखना चाहिए परन्तु प्राथमिकता दीन तथा सचरित्रता (हुस्ने अख़लाक़) को देना चाहिए, दीनदारी के मुक़ाबले में दूसरी कमियों को सम्भव हो तो नज़र अन्दाज कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि0 धनवान मुहाजिर कुरैशी ने अपनी बहन का निकाह बिलाल हबशी रज़ि0 से कर दिया था। परन्तु इस विषय में लड़की की रज़ामन्दी आवश्यक है।

यही नियम लड़की के चयन में अपनाना चाहिए अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मदसल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया—

स्त्रियों से केवल उनका रूप तथा सुन्दरता देख कर उनसे निकाह मत करो, सम्भव है (दीन न होने के कारण) उनका रूप उनको किसी बुराई की ओर लौटा दे। केवल उनका धन देख कर भी उनसे निकाह मत करो सम्भव है (दीन न होने के कारण) उनका धन उन को हानि पहुंचाने वाला घमन्डी बना दे अपितु निकाह करो दीनदार स्त्री से (चाहे वह गोरी हो, अथवा काली, चाहे वह निर्धन अथवा धनवान) कि एक काली दीनदार दासी उत्तम है दीन रहित सुन्दरी से। (इब्ने माजा किताबुन्निकाह)

वास्तव में लड़की लड़कों के जोड़ों के चयन करने में लड़की लड़के के घर वाले अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इसका रिवाज बहुत बाद में विशेष कर उप महाद्वीप (भारत, पाक, बंगलादेश आदि) में हिन्दू भाइयों की संगत से हुआ और इसी के साथ सगाई, महूरत (वक्ते सअ़द) आदि का चलन आया। हिन्दू भाइयों के यहां आज भी पंडित से महूरत निकलवा कर ही विवाह होता है। हमारे बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी इस कार्य को अपनाया और पंडित को बुलाने के बजाए मौलवी जी को बुला कर या स्वयं ही अपने ख़याल से जंत्री की सहायता से, नहस से बच कर सअ़द (शुभ) दिन तारीख़ रखने लगे आगे चल कर सअ़द व नहस को त्यागा तो अपनी सुहूलत का लिहाज़ किया परन्तु तारीख़ रखने की प्रथा चालित रही यही मंगनी है जिसने अब वलीमे (निकाह भोज) का रूप धारण कर लिया है।

निकाह का वास्तविक रूप क्या था? सुनिएः हज़रत अली रज़ि0 स्वयं शर्माते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हज़रत फ़ातिमा की मांग करते हैं और कुछ

सुवाल व जवाब के पश्चात रिश्ता तै हो जाता है, न नाई न्योता ले जाता है न कार्ड लिखा जाता है, दो चार मुहाजिरीन व अन्सार बुलाए जाते हैं और निक़ाह करके शाम को एक शिष्ट स्त्री उम्मे ऐमन के संग दोनों जहां के बादशाह की बेटी बिदा कर दी जाती हैं। ज़रा पता लगाइये हज़रत अबू बक्र ने अपनी लाडली आइशा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किस तरह किया? आप अहादीस की किताबों में सहाब–ए–किराम के निकाह के वाकिआत ढूँढ निकालिए, जब लड़का जवान हुआ, उसको जीवन साथी की आवश्यकता हुई उसने किसी युवती के बाप या उसके वैध वली (अभिभावक) से लड़की की मांग कर ली, लड़की के वली को पैगाम देने वाला (मांग करने वाला) ठीक लगा तो उसने स्वीकृत दे दी निकाह हो गया, रुखसती हो गई। सरलता के साथ वलीमा हो गया। कभी ऐसा भी हुआ कि लड़की या लड़की के घर वालों ने लड़के को पैग़ाम कहलाया और दोनों ओर की रज़ामन्दी से निकाह हो गया।

एक बात यहां वर्णनीय है कि सहाबा रज़ि0 में नाबालिग़ लड़की के निकाह के उदाहरण तो बहुत से मिल जाएंगे परन्तु नाबालिग़ लड़कों के निकाह प्रथम काल में ढून्ढे से भी न मिलेंगे। यह बाल विवाह की प्रथा भारत ही की है या उप महाद्वीप की। यही नहीं कि बाप अपने लड़के की शादी करता है बल्कि बरसों बाप ही अपने बेटे की बीवी बच्चों के खर्चों का ज़िम्मेदार रहता है। एक प्रकार से यह बड़ा ऐब है। इसी लिए यहां लड़की के मुक़ाबले में लड़का बोला जाता है वरना लड़का तो कम आयु वाले का अर्थ रखता है।

हमारे यहां के कानून में भी यह झोल है कि लड़का बालिग़ हो जाए अर्थात कानूनी आयु 18 वर्ष का हो जाए तो शादी कर सकता है। इस्लाम ने तो नाकेह (जो निकाह करे अर्थात जिस मर्द का निकाह हो) पर पत्नी का रोटी कपड़ा (नान व नफ़्क़ा) अनिवार्य किया है। अतः चाहिए कि जब लड़का बालिग़ भी हो जाए और अपनी बीवी का खर्च भी उठा सके तब शादी हो।

हमारे समाज में यह प्रथा भी बड़ी खराब चल पड़ी है कि बाप अपने बेटे की बीवी फिर उसके बच्चों के खाने, कपड़े और घर का ज़िम्मेदार होता है। यह सत्य है कि हमारे यहां अधिक लोग किसान हैं या व्यापारी या उद्योगी जिसमें घर के सभी लोग लगे रहते हैं, आय सम्मिलित होती है, नौकरी या मजदूरी करके निजी आय करने वाले कम हैं। सम्मिलित आय में बाप या घर का बड़ा आय का मालिक रहता है। ऐसे में

चाहिए कि जो लड़का बालिग़ हो जाए घर मालिक आय के अनुसार उस का वेतन नियुक्त कर दे ताकि वह शादी करे तो अपनी पत्नी का खर्च संभाल सके। बड़ी समस्या देहात के किसानों की होती है, खेत में जो अनाज पैदा होता है इकट्ठा रखा जाता है उसी में से पूरे घर का खाना पकता और खाया जाता है। एक किसान इसको बड़ा ऐब मानता है कि बहू आए तो वह अलग हो जाए और उसका खर्च उसका पति संभाले हालांकि यह ऐब की बात न थी, फिर भी इस मुशतरक ख़ान्दान (सम्मिलित कुल) में कोई भी बहू खुश नहीं देखी गई सिवाए इसके कि वह उस ख़ान्दान में अकेली हो फिर भी देहात के किसानों में यह प्रथा चली आ रही है। परन्तु चाहिए यही कि जब लड़का बालिग़ हो जाए (इस्लामी शरीअ़त में बुलूग की आयु 15 वर्ष है) और वह कमाने लगे या वह इतने धन आय का मालिक हो कि अपनी पत्नी के रोटी कपड़े का खर्च उठा सके तथा उसके रहने के कमरे या घर का प्रबन्ध कर सके तब ही वह शादी करे। अगर माँ, बाप धनवान हों और अपने बेटे और उसकी पत्नी का खर्च उठा सकते हों तो इसमें कोई बाधा नहीं कि वह ऐसा करें परन्तु बहू का ऊपरी खर्च बेटे द्वारा उपलब्ध कराएं कि इसमें बेटे का भी सम्मान है तथा बहू का भी।

कुछ लोग कहते हैं कि इस आधुनिक युग में जो लड़के लड़की प्रेम विवाह (Love Marriage) करते हैं यह इस्लाम के अनुकूल है वह बड़ी भूल में हैं, इस्लाम में निकाह से पहले भेंट वाला प्रेम दन्डनीय है। अलबत्ता ऐसे दो प्रेमी जिन में निकाह वर्जित न हो बिना देर किये उन का निकाह हो जाना चाहिए।

जारी.....

❖❖❖

बात अठन्नी की .....

"यह दुन्या न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी–बड़ी कोठियों में बैठ कर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता।"

रमज़ान घर पहुंचा। एक आदमी ने पूछा, "रसीला का क्या हुआ?"

"छह महीने की कैद।"

"अच्छा हुआ। वह इसी लायक था।"

रमज़ान ने गुस्से से कहा, "यह इंसाफ़ नहीं अंधेर है। सिर्फ़ एक अठन्नी की ही तो बात थी!"

रात के समय जब हज़ार, पाँच सौ के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग, कोठरी में पछता रहा था।

बढ़ उनवानी रिश्वत ख़ोरी
भरना मक़सद फ़क़त तिजोरी
ख़ौफ़े ख़ुदा बिन दूर न होगी
भारत की यह सीना जोरी

❖❖❖

सूरः फ़ातिहा का अनुवाद (पद्य में)

—इदारा

सभी ख़ूबी सभी तअ़रीफ़ है अल्लाह को ज़ेबा
बुज़ुरगी है उसी आक़ाए आलीजाह को ज़ेबा
वह है सारे जहानों का ख़ुदाए बरतरो बाला
बराबर सारी मख़लूक़ात का है पालने वाला
बहुत ही मेहरबाँ है वह, बड़ा ही मेहरबाँ है वह
सदा रहमत फ़िशाँ, रहमत फ़िशाँ, रहमत फ़िशाँ है वह
वही रोज़े क़ियामत का अकेला हुक्मराँ होगा
किसी का मशवरह होगा न कोई दरमयाँ होगा
ख़ुदा वन्दा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं
तुझी को पूजते हैं, बस तुझी से लौ लगाते हैं
ख़ुदा वन्दा तुझी से चाहते हैं हम मददगारी
तुझे आती है अपने आरज़ूमन्दों की दिलदारी
दिखा दे हमको सीधी राह, सीधी राह पर ले चल
न उनकी राह पर ले चल, ख़ुदाई मार है जिन पर
तेरी फिटकार है जिन पर तेरी धुतकार है जिन पर
न उनकी राह पर ले चल, भटक कर रह गये हैं जो
मुलम्मा की तरह चमके चमक कर रह गये हैं वह

बच्चों को दीनी तअ़लीम दीजिए

—हज़रत मौ0 सै0 अबुल ह़सन अली हसनी नदवी रह0

सबसे ज़रूरी काम ये है कि अपने बच्चों को दीन की तअ़लीम दीजिए और दीन जिस ज़रीये से आ सकता है। उसका इन्तिज़ाम कीजिए। यानी उर्दू पढ़ना लिखना उनको सिखाइये। और कुरआन शरीफ़ पढ़ने की उनमें लियाक़त पैदा कीजिए, कुरआन शरीफ़ पढ़ें, तिलावत कर सकें, उर्दू से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन कुरआन शरीफ पढ़ने के लिए और ज़रा ज़ियादा इन्तिज़ाम करना पड़ेगा, और शुरुअ़ से तौहीद का अ़कीदा उनके दिलों में जमाइये खुदा के फ़ज़्ल से आप लोगों का अ़कीदा भी सही है, माशा अल्लाह नमाज़ रोज़ा भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी भी ज़रूरत है कि घर—घर मकतब क़ाइम हों, मदरसे क़ाइम हों। जहां किसी को कोई वसीअ़ दालान मिल जाए, किसी घर में गुंजाइश हो, और नही तो मस्जिद में मकतब हो, मदरसा हो, और इब्तिदाई दीन की तअ़लीम हो और स्कूल भेजने से ज़ियादा और अंग्रेज़ी पढ़वाने से जियादा, और हिन्दी पढ़ाने से ज़ियादा, और नौकरी के क़ाबिल बनाने से ज़ियादा, पचास गुना नहीं, सौ गुना नहीं, हज़ार गुना ज़ियादा इसकी फिक्र हो कि हमारा बच्चा अल्लाह तआ़ला को पहचाने, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जाने, और वह मुवह्हिद (एकेश्वरवादी) हो, खुदा के सिवा किसी को नफ़ा नुक़सान पहुंचाने वाला, इस कारखा—नऐ—आ़लम में दख़्ल देने वाला, और इसमें सियाह व सफेद का मालिक किसी को न समझें, और वह समझें कि रोज़ी उसी के हाथ में है, ज़िन्दगी उसी के हाथ में है, सेहत और बीमारी उसी के हाथ में है, क़िस्मत अच्छी बुरी सब उसी के हाथ में है, वही सब कुछ करने वाला है, बस ये बात महल्ले—महल्ले और घर—घर में होना चाहिए।

❖❖❖

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

उर्दू सीखिये

—इदारा

सामने लिखे हिन्दी की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़िये।

बद उन्वानी काम की चोरी	بدعنوانی کام کی چوری
दहशत गर्दी रिश्वत खोरी	دہشت گردی رشوت خوری
ख़ौफ़े ख़ुदा बिन दूर न होगी	خوف خدا بن دور نہ ہوگی
भारत की यह सीना ज़ोरी	بھارت کی یہ سینہ زوری
ख़ौफ़े ख़ुदा फिर लाये कौन	خوف خدا پھر لائے کون
दुन्या को समझाये कौन	دنیا کو سمجھائے کون
काम फ़क़त यह मुस्लिम का है	کام فقط یہ مسلم کا ہے
मुस्लिम को बतलाये कौन	مسلم کو بتلائے کون
अ़हद हमारा सुन लें भाई	عہد ہمارا سن لیں بھائی
इसी में होगी सब की भलाई	اسی میں ہوگی سب کی بھلائی
रब की बातें सब को बता कर	رب کی باتیں سب کو بتا کر
ख़ौफ़े ख़ुदा का सबक पढ़ा कर	خوف خدا کا سبق پڑھا کر
अख़्लाक़ी क़द्रें सिखला कर	اخلاقی قدریں سکھلا کر
गुमराहों को राह पे ला कर	گمراہوں کو راہ پہ لا کر
लड़े हुओं को गले मिला कर	لڑے ہوؤں کو گلے ملا کر
बुग़्ज़ अदावत दूर भगा कर	بغض عداوت دور بھگا کر
छूत छात का ऐब बता कर	چھوت چھات کا عیب بتا کر
ऊँच नीच का फर्क़ मिटा कर	اونچ نیچ کا فرق مٹا کر
भारत की तअ़मीर करेंगे	بھارت کی تعمیر کریں گے
हिन्द की हम तक़्दीर बनेंगे	ہند کی ہم تقدیر بنیں گے
भारत प्यारा ज़िन्दा बाद	بھارت پیارا زندہ باد
हिन्द हमारा ज़िन्दा बाद	ہند ہمارا زندہ باد